

# PENSION RULES

संख्या सं. 504 (बी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127



## भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)  
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 504]  
No. 504]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 16, 1990/कार्तिक 25, 1912  
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 16, 1990/KARTIKA 25, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय  
(पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1990

सा. का. नि. 917 (अ) :- केन्द्रीय सरकार, तेल उद्योग (विकास)  
अधिनियम, 1974 (1974 का 47) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त  
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय—1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त  
नाम तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (पेंशन) नियम, 1990 है

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना :- ये नियम बोर्ड के निम्नलिखित से भिन्न सभी  
कर्मचारियों को लागू होंगे :-

(1) वे जो आकस्मिक और दैनिक मजदूरी वाले नियोजन में  
हैं ;

(2) वे जो संकेतित वेतन पर किसी विनिश्चित अवधि के लिए  
संविदा पर नियोजित किए गए हैं तब के सिवाय जब कि  
संविदा में अन्यथा उपबंधित हो ;

(3) अग्निदायी पत्रिय निधि की प्रपूर्विधारियों के हकदार कर्मचारी ;

(4) अग्रंज सेवा निबंधनों पर बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर व्यक्त ;

(5) वे जो सेवा के विशेष निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त किए  
गए हैं या जिनकी बोर्ड में नियुक्ति पर भी सेवा के निबंध-  
नों और शर्तों में अन्यथा उपबंधित है या जो किसी अन्य  
विधि, नियम या उपविनियमों के उपबंधों द्वारा या उनके  
अर्थम विनियमित की जाती हैं।

3. परिभाषाएं :- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा  
अपेक्षित न हो ;

(क) "लेखा अधिकारी" से बोर्ड का वित्तीय सलाहकार और मुख्य  
लेखा अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ख) "बोर्ड" से तेल उद्योग विकास बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ग) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ।

- (घ) "वालक" से किसी कर्मचारी का ऐसा कोई वालक अभिप्रेत है, जो 25 वर्ष से कम आयु का है ;
- (ङ) "सक्षम प्राधिकरण" से बोर्ड अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत समय-समय पर यथा संशोधित तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी सेवा की माध्यागण शर्तें ; (नियम, 1984 में इस प्रकार विनिर्दिष्ट कोई प्राधिकरण भी है ;
- (च) "कर्मचारी" से बोर्ड का कोई कर्मचारी अभिप्रेत है -
- (छ) "अर्थज्ञ सेवा" से ऐसी सेवा अभिप्रेत है जिसमें बोर्ड का कोई कर्मचारी तेल उद्योग विकास निधि से प्राप्त किसी स्त्रोत से बोर्ड की मंजूरी से अपना वेतन प्राप्त करता है -
- (ज) "प्रदण" से इन नियमों में उपायक प्रदण अभिप्रेत है ;
- (झ) "अवधस्क" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने पचास वर्ष की आयु पूर्ण न की हो -
- (ञ) "पेंशन संचितरण प्राधिकारी" से नया कर्मचारी अभिप्रेत है -
- (ट) "पेंशन मंजूर करने वाला प्राधिकारी" से समय-समय पर यथा संशोधित तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (सेवा की माध्यागण शर्तें) नियम, 1984 के नियम 2 के खंड (ख) में यथा परिभाषित नियुक्ति प्राधिकारी अभिप्रेत है -
- (ठ) "मन्त्रि" से बोर्ड का मन्त्रि अभिप्रेत है ;
- (ड) "अर्हक सेवा" से कर्तव्य पर रहकर या अन्यथा की गई ऐसी सेवा अभिप्रेत है जो इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय पेंशनों और उपदानों के प्रयोजन के लिए लेखे में ली जाएगी :

#### अध्याय 2

#### सामान्य शर्तें

4. पेंशन या कुटुम्ब पेंशन के दावों का विनियमन:—(1) पेंशन या कुटुम्ब पेंशन संबंधी कोई भी दावा उस समय, जब कोई कर्मचारी, यथास्थिति, सेवानिवृत्त होता है या सेवानिवृत्ति कर दिया जाता है या सेवोन्मुक्त कर दिया जाता है या उसे सेवा से पद-त्याग करने की अनुज्ञा दी जाती है, या मर जाता है, प्रवृत्त इन नियमों के उपबंधों द्वारा विनियमित किया जाएगा।

(2) जिस दिन कोई कर्मचारी, यथास्थिति, सेवानिवृत्त होता है या सेवानिवृत्त कर दिया जाता है या सेवोन्मुक्त कर दिया जाता है या उसे सेवा से पद-त्याग करने की अनुज्ञा दी जाती है वह दिन काम का दिन माना जाएगा। मृत्यु की तारीख भी काम का दिन मानी जाएगी।

(3) ऐसे किसी कर्मचारी की दशा में जिसे समय पूर्व सेवानिवृत्त कर दिया जाता है या जो स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो जाता है, सेवानिवृत्ति की तारीख काम का दिन नहीं मानी जाएगी।

5. पेंशनों की संख्या की परिसीमाएं:—(1) कोई भी कर्मचारी एक ही सेवा या पद में एक ही समय में या एक ही लगातार सेवा करके दो पेंशनों अर्जित नहीं करेगा।

(2) बोर्ड में पुनर्नियोजित सैनिक पेंशन-भोगियों की दशा में सिवाय ऐसा सरकारी सेवक या बोर्ड का कोई कर्मचारी जो अधिवापिकी पेंशन या सेवानिवृत्ति पेंशन पर सेवानिवृत्त हो चुका है और जिसे तत्पश्चात् पुनः नियोजित किया जाता है, अपने पुनः नियोजन की अवधि के लिए अलग पेंशन या उपदान का हकदार नहीं होगा।

6. पेंशन भविष्य में आचरण के अच्छे बने रहने के अधीन होगी :

(1) इन नियमों के अधीन पेंशन की, प्रत्येक मंजूरी और उसे जारी रखने की एक विवक्षित शर्त यह होगी कि भविष्य में आचरण प्रशस्त

बना रहे। यदि पेंशनभोगी किसी गंभीर अपराध के लिए सिद्धोप ठहराया गया है या किसी गंभीर अवचर का दोषी पाया गया है तो पेंशन मंजूर करने वाला प्राधिकारी पेंशन या उसके किसी भाग को, विहित आदेश द्वारा, स्थायी रूप में अथवा किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए इस शर्तों के अधीन, रोक मकेगा या प्रत्याहृत कर मकेगा कि पेंशन का वह अधिशेष जो ऐसे पेंशनभोगी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है वही होगा जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए विहित किया जाए।

(2) पेंशन को इस प्रकार रोकने या उपाय प्रत्याहृत करने का आदेश करने के पूर्व पेंशनभोगी को नोटिस जारी करके सम्बन्धित अवसर प्रदान किया जाएगा।

7. पेंशन रोकने अथवा प्रत्याहृत करने का बोर्ड का अधिकार:—

(1) बोर्ड किसी पेंशन या उसके भाग को स्थायी रूप में अथवा किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए रोकने अथवा अथवा प्रत्याहृत करने तथा बोर्ड को कारित किसी धन संबंधी हानि को पूर्णतः या अंशतः पेंशन में इस वसूल करने का आदेश देने का अधिकार उस दशा में अपने पास आरक्षित रखता है जब किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों में पेंशन भोगी के बारे में यह पाया जाए कि वह अपने सेवाकाल में, जिसके अन्तर्गत सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनःनियोजन करने पर की गई सेवा भी है, गंभीर अवचर या अपेक्षा का दोषी रहा है।

(2) यदि विभागीय कार्यवाहियां उस समय, जब कोई कर्मचारी सेवा में रहा हो, चाहे उसकी सेवानिवृत्ति के पूर्व अथवा उसके पुनःनियोजन के दौरान संस्थित न की गई हों, तो वे बोर्ड की मंजूरी के बिना संस्थित नहीं की जाएगी। ऐसी कोई भी कार्यवाही किसी ऐसी घटना की बावत जो उक्त संस्थिति के पूर्व चार वर्ष से अधिक पहले घटी हो, संस्थित नहीं की जाएगी।

(3) यदि बोर्ड पेंशन से बोर्ड को हुई धनीय हानि की वसूली का आदेश करता है, तो वसूली सामान्यतः किसी कर्मचारी की सेवा निवृत्ति की तारीख पर अनुज्ञेय पेंशन के एक तिहाई से अधिक की दर पर नहीं की जाएगी।

8. विद्यमान कर्मचारियों को विकल्प:—(1) ऐसे कर्मचारियों को, जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख की सेवा में हैं, ऐसी तारीख से छह मास की अवधि के भीतर इन नियमों के अधीन पेंशनिक प्रसुविधाओं का निर्वाचन करने का या तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (अभिदायी भविष्य निधि) नियम, 1978 के अधीन शासित होने का विकल्प प्राप्त होगा। उन कर्मचारियों के बारे में जो उस अवधि के भीतर विकल्प का प्रयोग नहीं करेंगे, यह समझा जायेगा कि उन्होंने इन नियमों के अधीन पेंशनिक प्रसुविधाओं का विकल्प दिया है।

(2) यदि कोई कर्मचारी पेंशनिक फायदों के लिये विकल्प देता है तो ऐसे विकल्प का प्रयोग करने की तारीख को, अभिदायी भविष्य निधि में बोर्ड के अभिदायी के रूप में उसके नाम जमा रकम, उस पर ब्याज सहित उस लेखा से पुनः तेल उद्योग विकास निधि में अन्तर्गत कर दी जायेगी।

9. जिन सेवाओं और पदों को ये नियम लागू नहीं होते हैं, उनसे स्थानान्तरित कर्मचारी:—(1) वह कर्मचारी जिसे किसी ऐसी सेवा या पद से, जिसे ये नियम लागू नहीं होते हैं, स्थायी रूप से स्थानान्तरित किया जाता है, इन नियमों के अधीन हो जायेगा;

परन्तु वह अपने स्थायी स्थानान्तरण के आदेश के जारी किये जाने की तारीख से छह मास के भीतर, अथवा यदि वह उस दिन छुट्टी पर है तो उसके छुट्टी से लौट आने के छह मास के भीतर, इनमें से जो भी पश्चात्पूर्ति हो, इस बात का निर्वाचन कर सकेगा कि वह बोर्ड में की गई सेवा की बावत तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी

(अभिदायी भविष्य निधि) नियम, 1978 द्वारा या ऐसी सेवानिवृत्ति प्रवृत्तियों द्वारा शासित किया जाये, जिनके अधीन वह पूर्व नियोजन में उसके द्वारा की गई सेवा की वास्तव अपने स्थानान्तरण की तारीख से ठीक पहले था।

(2) विगत सेवा के लिए पेंशनिक/सेवानिवृत्ति प्रवृत्तियों में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार/बोर्ड द्वारा जारी किये गये सुसंगत आदेश/निर्देशों के अनुसार विनियमित होगी।

(3) एक बार किया गया विकल्प अस्तित्व में होगा।

#### अध्याय-3

##### अर्हक सेवा

10. अर्हक सेवा का प्रारंभ :—(1) कर्मचारी की अर्हक सेवा उस तारीख से प्रारंभ होगी जिससे वह बोर्ड के नियमित स्थापन में उस पद का भार ग्रहण करता है जिस पर नियमित आधार पर नियुक्त हुआ है।

(2) बोर्ड के अधीन किसी पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त केन्द्रीय/राज्य सरकार या किसी अन्य पब्लिक सेक्टर संगठन के किसी कर्मचारी की दशा में जिसे किसी ऐसी सेवा या पद पर, जिसे वे नियम लागू होते हैं, स्थायी रूप से स्थानान्तरित कर दिया जाता है, तो उस सरकार/संगठन, यदि कोई है, के अधीन की गई लगातार सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जायेगी।

(3) उस सेवा के दौरान जिसके लिये छुट्टी वेतन संदेय है, सभी छुट्टियों, चिकित्सीय प्रमाण-पत्र पर दी गई सभी असाधारण छुट्टी और सिविल उपद्रव के कारण या उच्च तकनीकी और वैज्ञानिक अध्ययन जारी रखने के कारण कार्यभार संभालने या पुनः संभालने की असमर्थता के कारण दी गई सभी असाधारण छुट्टियों की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जायेगी।

11. संविदा पर की गई सेवा की गणना :—(1) ऐसा व्यक्ति, जिसे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये बोर्ड द्वारा प्रारंभ में किसी संविदा पर लगाया गया हो और तत्पश्चात् किसी पेंशनी स्थापन में नियमित आधार पर, उसी अथवा किसी अन्य पद पर कर्तव्य में व्यवधान आये बिना, नियुक्त किया गया हो या तो—

(क) बोर्ड की अभिदायी भविष्य निधि में बोर्ड के अंशदान को उस पर ब्याज सहित, जिसके अन्तर्गत उस सेवा के लिये कोई अन्य फायदा भी है, लेते रहने का विकल्प कर सकता है; या

(ख) पूर्वोक्त आर्थिक फायदों को बोर्ड को लौटा देने के लिये अथवा उन्हें छोड़ देने के लिये सहमत होने और उसके बदले में उस सेवा को, जिसके लिये आर्थिक फायदे संदाय हुए होते, गणना में लिये जाने का विकल्प कर सकता है।

(2) संबंधित कर्मचारी द्वारा विकल्प का प्रयोग किसी पेंशनिक पद पर नियुक्ति के आदेश के जारी किये जाने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर किया जायेगा।

(3) यदि विहित अवधि के भीतर कोई विकल्प प्राप्त नहीं होता है, तो कर्मचारी के बारे में यह समझा जायेगा कि उसने संविदा पर की गई सेवा के कारण संदेय या संवत् अभिदायी भविष्य-निधि फायदों को लेते रहने का विकल्प दिया है।

12. निलंबन की अवधियों की गणना :—निलंबित कर्मचारी ने जो अवधि अपने आचरण की जांच होने तक व्यतीत की है उसकी गणना जहाँ कि ऐसी जांच समाप्त हो जाने पर उसे पूरी तरह से विमुक्त कर दिया गया है। अथवा कोई छोटी शासित अधिनियमित की गई

है अथवा निलंबन को पूर्णतया अन्यायपूर्ण ठहराया गया है वहाँ, अर्हक सेवा के रूप में की जायेगी। अन्य मामलों में, निलंबन की अवधि की गणना तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियम, 1988 के अधीन आदेश पारित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी उस समय स्पष्ट रूप से यह घोषित न करे कि उसकी गणना की जायेगी।

13. बहाली पर विगत सेवा की गणना :—(1) ऐसा कर्मचारी जो सेवा से पदच्युत कर दिया गया है, हटा दिया गया है अथवा अनिवाच्य रूप से नियुक्त कर दिया गया है, किन्तु अपील कर पर अथवा पुनर्विचारण पर बहाल कर दिया गया है, अपनी विगत सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में कराने का हकदार है।

(2) सेवा में जितनी मध्यावधि अवधि का व्यवधान हुआ है, उस अवधि और निलंबन की, यदि कोई हो, अवधि की गणना तब तक अर्हक सेवा के रूप में नहीं की जायेगी जब तक उसे उस प्राधिकारी के जिसने बहाली का आदेश पारित किया था, किसी विनिर्दिष्ट आदेश द्वारा कर्तव्य अथवा छुट्टी के रूप में विनियमित नहीं कर दिया जाता।

#### अध्याय-4

##### उपलब्धियाँ और औसत उपलब्धियाँ

14. उपलब्धियाँ :—“उपलब्धियाँ” पद से समय-समय पर वधाराशोधित तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति) उपदान नियम, 1983 में यथापरिभाषित ऐसा वेतन अभिप्रेत जो सरकारी सेवक अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व या अपनी मृत्यु की तारीख को ले रहा था या जो उनकी सेवानिवृत्ति मृत्यु की तारीख को तब मिलता जब वह उस तारीख को सेवा के समयहरण के बिना पुनः बहाली के पश्चात् कर्तव्य से छुट्टी पर न रहा होता या निलंबित किया गया होता।

15. औसत उपलब्धियाँ :—(1) औसत उपलब्धियाँ कर्मचारी की सेवा के अन्तिम दस मास के दौरान उसके द्वारा ली गई उपलब्धियों के प्रति निर्देश से अवधारित की जायेगी।

(2) यदि कर्मचारी अपनी सेवा के अन्तिम दस मास के दौरान कर्तव्य से ऐसी छुट्टी पर अनुपस्थित था जिसके लिये छुट्टी वेतन संदेय है, अथवा निलंबित किये जाने के पश्चात् सेवा का समयहरण हुए बिना बहाल कर दिया गया था तो वे उपलब्धियाँ, जो उसे तब मिलतीं जब वह कर्तव्य से अनुपस्थित न रहा होता या निलंबित न किया गया होता, औसत उपलब्धियाँ अवधारित करने के लिये लेखे में ली जायेगी।

#### अध्याय-5

पेंशनों के वर्ग और उनके प्रदान को शासित करने वाली शर्तें

16. अधिवर्षिता पेंशन :—अधिवर्षिता पेंशन ऐसे कर्मचारी को प्रदान की जायेगी जिसे अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त किया जाता है।

#### 17. सेवानिवृत्ति पेंशन

(क) सेवानिवृत्ति पेंशन ऐसे कर्मचारी को प्रदान की जायेगी जो स्वेच्छापूर्वक सेवानिवृत्ति होता है अथवा विहित सूचना देकर सेवा निवृत्ति की आयु से पहले ही सेवानिवृत्त कर दिया जाता है; या

(ख) जो फालतू घोषित कर किये जाने पर स्वेच्छा सेवानिवृत्त होने के लिये विकल्प देता है।

18. असावत पेंशन :—ऐसे कर्मचारी को जिसे किसी सरकारी अस्पताल के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्राप्ति की सेवा के

लिये स्थायी रूप से अक्षय्य धोषित कर दिया गया है, अक्षय्य पेंशन प्रदान की जायेगी। अक्षय्य पेंशन की रकम कुटुम्ब पेंशन स्कीम के अधीन अनुज्ञेय कुटुम्ब पेंशन की रकम से कम नहीं होगी।

19. प्रतिकर पेंशन :—ऐसे किसी कर्मचारी को जो अपने पद के उत्पादन के कारण सेवा से तब उन्मोचित किया जाता है जब समान रकम की समुचित नियुक्ति उसे नहीं दिलाई जा सकती, प्रतिकर पेंशन दी जाती है।

20. अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन :—शास्त्र के रूप में सेवा से अनिवार्य रूप से निवृत्त किये गये कर्मचारी को, मन्त्र प्राधिकारी द्वारा, पेंशन या उपदान या दोनों ही की, ऐसी दर पर जो उसे उम्मीद अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख को अनुज्ञेय हो, दो तिहाई से कम कित्तु ऐसी पूरी प्रतिकर पेंशन या उपदान अथवा दोनों से अधिक हो, मंजूरी दी जा सकेगी। तथापि मंजूरी की गई पेंशन की रकम तीन से पचहत्तर रुपये प्रति मास से कम नहीं होगी।

21. अनुकम्पा भत्ता :—ऐसे कर्मचारी की जिसे सेवा से पदच्युत किया गया है या हटाया गया है, पेंशन और उपदान समरुद्ध हो जायेगा।

परन्तु मन्त्र प्राधिकारी, यदि वह मामला ऐसा हो कि उस पर विशेष विचार किया जा सकता हो तो, ऐसी पेंशन या उपदान या दोनों का दो तिहाई से अधिक ऐसी अनुकम्पा भत्ता मंजूरी कर सकेगा जो उसे उम्र समय अनुज्ञेय होता जब वह अनुकम्पा पेंशन पर सेवा निवृत्त हुआ होता :

परन्तु यह और कि यह भत्ता तीन से पचहत्तर रुपये प्रतिमास की न्यूनतम पेंशन से कम नहीं होगा।

#### अध्याय--6

22. पेंशनों की रकमों का विनियमन :—ऐसा कर्मचारी जो दस वर्ष की अधिक सेवा पूरी कर लेने से पहले सेवा से निवृत्त हो जाता है, पेंशन के संदाय का पात्र नहीं होगा। वह सेवा के प्रत्येक पूरे किये गये छह मास (आधा वर्ष) के लिये आधी मास की परिलब्धियों की समान दर पर संगणित "सेवा उपदान" के रूप में पदाविहित एक मुश्त रकम का हकदार होगा।

23. पेंशन की रकम :—किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी को अनुज्ञात पेंशन और महंगाई राहत की रकम और किसी मृतक कर्मचारी के या किसी मृतक पेंशनभोगी के कुटुम्ब को अनुज्ञात कुटुम्ब पेंशन या महंगाई राहत वही होगी जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये विहित की जाये।

24. पेंशन की संगणना :—(1) पेंशन सभी मामलों में "औसत परिलब्धियों" के पचास प्रतिशत पर संगणित की जायेगी और संराशीकरण से पहले मासिक पेंशन की उतनी न्यूनतम और अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये विहित की जाये।

(2) उपरोक्त उपनियम (1) के अनुसार निकाली गई पेंशन की रकम 33 वर्ष की अधिकतम अर्हक सेवा से संबंधित होगी। ऐसे कर्मचारियों के लिये जिन्होंने सेवानिवृत्ति के समय दस वर्ष या उससे अधिक कित्तु 33 वर्ष से कम की अर्हक सेवा की है, उनकी पेंशन की रकम अधिकतम अनुज्ञेय पेंशन का उतना अनुपात होगी जितना कि उनके द्वारा की गई अर्हक सेवा का 33 वर्ष की अधिकतम अर्हक सेवा का अनुपात है।

(3) इन नियमों के अधीन अन्तिम रूप से अवधारित पेंशन की रकम टूटे-टूटे रूपों में अभिव्यक्त की जायेगी और जहां पेंशन एक रूप का कोई भाग होगी, वहां उसे पूरा करके अगले रूप से तक कर दिया जायेगा।

25. सेवानिवृत्ति :—(1) बोर्ड की सेवा से कर्मचारी की सेवा निवृत्ति तेल उद्योग विकास कर्मचारी (सेवा की साधारण शर्तें) नियम

1984 के नियम 16 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार विनियमित होगी।

(2) यदि कोई कर्मचारी तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (सेवा की साधारण शर्तें) नियम, 1984 के नियम 16 के उपनियम (4) के अधीन स्वेच्छा सेवानिवृत्ति के लिये विकल्प देता है तो उसकी पेंशन इन नियमों में यथापरिभाषित परिलब्धियों पर आधारित होगी और अर्हक सेवा में पांच वर्ष से अधिक वृद्धि उसे पेंशन और उपदान की संगणना करने के प्रयोजनों के लिये वेतन के सैद्धांतिक नियतीकरण के लिये हकदार नहीं बनायेगी।

26. मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपदान :—उस पेंशन के अतिरिक्त जो इन नियमों के अधीन उपलब्ध हो, कर्मचारी समय-समय पर यथा संबंधित तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति) उपदान नियम, 1983 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपदान के हकदार होंगे।

27. कुटुम्ब पेंशन :—जहां किसी कर्मचारी की—

(क) एक वर्ष की लगातार सेवा पूरी करने के पश्चात्, मृत्यु हो जाती है; या

(ख) एक वर्ष की लगातार सेवा पूरी करने से पहले मृत्यु हो जाती है परन्तु यह तब जबकि सम्बद्ध मृतक कर्मचारी की सेवा या पद पर उसका नियुक्ति के ठीक पूर्व किसी सरकारी अस्पताल के भास्साधक चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा की गई थी और उसे उस अधिकारी द्वारा बोर्ड में सेवा के लिये उपयुक्त घोषित किया गया था; या

(ग) सेवा से निवृत्त हो जाने के पश्चात् मृत्यु हो जाती है और वह अपनी मृत्यु की तारीख को पेंशन पा रहा था,

तो मृतक कर्मचारी का कुटुम्ब ऐसी दरों पर जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए विहित की जाए, कुटुम्ब पेंशन पाने का हकदार होगा।

28. कुटुम्ब पेंशन किसको संदेय :—(1) कुटुम्ब पेंशन मृतक कर्मचारी के कुटुम्ब को संदेय होगी। किसी कर्मचारी के संबंध में "कुटुम्ब" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(क) पुरुष कर्मचारी की दशा में पत्नी;

(ख) महिला कर्मचारी की दशा में पति;

(ग) पुत्र जिन्होंने 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है;

(घ) अविवाहित पुत्रियां, जिन्होंने 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है;

(2) 25 वर्ष से कम आयु के पुत्रों और अविवाहित पुत्रियों के अन्तर्गत ऐसे पुत्र और पुत्रियां भी होंगी जिन्हें सेवानिवृत्ति के पूर्व वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया गया है।

(3) पत्नी या पति के अन्तर्गत क्रमशः न्यायिकतः पृथक्कृत पत्नी या पति भी है।

(4) यदि मृतक कर्मचारी (पेंशनभोगी) अपने पीछे एक से अधिक विधवा छोड़ जाता है तो दूसरी पत्नी वैध रूप से विवाहित पत्नी के रूप में कुटुम्ब पेंशन पाने की हकदार नहीं होगी।

29. (1) कुटुम्ब पेंशन एक समय पर कुटुम्ब के केवल एक सदस्य को संदेय होगी।

(2) यह प्रथमतः विधवा/विधुर को उसकी मृत्यु या पुनर्विवाह की तारीख तक, इनमें जो भी पहले हो, संदेय होगी।

(3) तत्पश्चात् यह पूर्विकलाश्रम में पाल बालकों को संदेय होगी। अविवाहित पुत्री की मात्रता केवल तब प्रारंभ होगी जब पुत्रों की मात्रता समाप्त हो जाती है।

30. कुटुम्ब पेंशन का उच्चतर मापमान :—(1) जहां जब किसी कर्मचारी की सात वर्ष से न्यून की लगातार सेवा कर चुकने के पश्चात्

सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है, वहां मृतक कर्मचारी के कुटुम्ब को सें क्युटुम्ब पेंशन कर्मचारी द्वारा अंत में लिए गए वेतन के पचास प्रतिशत के बराबर, अथवा सामान्य दरों पर अनुज्ञेय कुटुम्ब पेंशन के दुगुने के बराबर, इनमें से जो भी कम हो, होगी ।

(2) कुटुम्ब पेंशन की यह उच्चतर दर, कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के ठीक बाद की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए अथवा मृतक कर्मचारी, यदि वह जीवित रहता तो, जिस तारीख को पैमट वर्ष की आयु का हो जाता, उस तारीख तक की अवधि के लिए, इनमें से जो भी अवधि लघुतर हो, संदेय होगी ।

(3) सेवानिवृत्ति के पश्चात् कर्मचारी की मृत्यु होने की दशा में पूर्वोक्त यथा-अवधारित पेंशन की उच्चतर दर, सेवा से निवृत्त हो जाने पर ऐसे कर्मचारी को प्राधिकृत पेंशन की रकम तक और निर्बंधित होगी और मृत्यु की तारीख के ठीक बाद की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए अथवा मृतक कर्मचारी, यदि वह जीवित रहता तो, जिस तारीख को पैमट वर्ष की आयु का हो जाता, उस तारीख तक की अवधि के लिए, इनमें से जो भी अवधि लघुतर हो, संदेय होगी ।

(4) अविवाहित पुत्री उस तारीख से जिसको वह विवाह कर लेती है, कुटुम्ब पेंशन के लिए अपात्र हो जाएगी ।

(5) किसी पुत्र या पुत्री को संदेय कुटुम्ब पेंशन बंद कर दी जाएगी यदि वह (पुत्र) या वह (पुत्री) अपनी आजीविका को उपार्जन करना प्रारंभ कर देता है/कर देती है या 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है/कर लेती है, इनमें से जो भी पहले हो ।

31. विकलांग पुत्र(तों), पुत्री(यों) को विवाह आयु सीमा से परे तक कुटुम्ब पेंशन की अनुज्ञेयता :—यदि किसी कर्मचारी का पुत्र या अविवाहित पुत्री किसी मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त है अथवा शारीरिक रूप से अपंग या निःशक्त है जिससे कि वह पच्चीस वर्ष की आयु का हो जाने पर भी आजीविका उपार्जन करने में असमर्थ है तो ऐसे पुत्र या पुत्री को आजीवन कुटुम्ब पेंशन निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए संदेय होगी, अर्थात् :—

(i) यदि ऐसा पुत्र या पुत्री कर्मचारी के दो या उससे अधिक बालकों में से एक है तो कुटुम्ब पेंशन प्रारंभतः नियम 30 में अधि-कथित क्रम से अवयस्क बालक की तब तक संदेय होगी जब तक अन्तिम अवयस्क बालक, पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, और तदुपरांत कुटुम्ब पेंशन उस पुत्र या पुत्री के पक्ष में, जो मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त है अथवा शारीरिक रूप से अपंग या निःशक्त है, पुनः प्रारंभ कर दी जाएगी और उसे आजीवन संदेय होगी ;

(ii) यदि ऐसे एक से अधिक पुत्र या पुत्री हैं जो मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त हैं अथवा शारीरिक रूप से अपंग या निःशक्त हैं तो कुटुम्ब पेंशन निम्न क्रम से संदेय की जाएगी :—

(क) पहले तो पुत्र को, और यदि एक से अधिक ऐसे पुत्र हैं तो उनमें से लघुतर पुत्र बड़े के जीवन-काल के पश्चात् कुटुम्ब पेंशन प्राप्त करेगा;

(ख) दूसरे क्रम पर पुत्री को, और यदि एक से अधिक पुत्रियां हैं तो उनमें से लघुतर पुत्री बड़ी पुत्री के जीवन-काल के पश्चात् कुटुम्ब पेंशन प्राप्त करेगी;

(iii) ऐसे पुत्र या पुत्री को कुटुम्ब पेंशन संरक्षक की मार्फत-संवेत की जाएगी मानो वह पुत्र या पुत्री अव्यस्क हो ।

(iv) विहित आयु सीमा से परे निःशक्त बालकों को कुटुम्ब पेंशन की मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :—

(क) निःशक्तता कर्मचारी के सेवा में रहते हुए, उसकी सेवा-निवृत्ति या मृत्यु के पूर्व प्रकट हो गई हो;

(ख) पुत्री, उस तारीख से पात्र नहीं रहेगा जिस तारीख को उसका विवाह हो जाता है ।

(ग) ऐसे निःशक्त पुत्र या पुत्री को कुटुम्ब पेंशन बंद कर दी जाएगी जो अपनी आजीविका का उपार्जन प्रारंभ कर देता है/कर देती है ।

अध्याय 7

32. पेंशन के प्राधिकरण के लिए प्रक्रिया :—(1) अधिवर्षिता पेंशन और सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान के संदाय में विवाद को दूर करने की दृष्टि से पेंशन मामलों के तैयार करने के लिए एक समयबद्ध अनुसूची का यह मुनिश्चिन करने के लिए पाठन किया जाएगा कि सभी मामलों में अधिवर्षिता पेंशन का संदाय उस मास के जिसमें वह देय है, प्रथम दिन को प्रारंभ कर दिया जाता है ।

(2) उस तारीख के जिसको कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करेगा या उसकी प्रत्याशित सेवानिवृत्ति की तारीख के एक वर्ष पूर्व सक्षम प्राधिकारी पेंशन कागजों को जिसके अंतर्गत सेवा का सत्यापित किया जाता और प्रहप 3 में अपेक्षित विशिष्टियों का पूरा किया जाना भी है, तैयार करना मुनिश्चित करेगा । कुटुम्ब का विवरण प्रहप 1 में अभिप्राप्त किया जाएगा ।

(3) एक वर्ष के तैयारी कार्य की अवधि को निम्नलिखित तीन उप-क्रमों में विभाजित किया जाएगा :

(i) पहला प्रक्रम :—सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारी की सेवा पुस्तिका की यह मुनिश्चित करने के लिए जांच की जाएगी कि सेवा के सत्यापन का प्रमाणपत्र सेवा की पूर्ण अवधि के लिए अधि-लिखित किया गया है और सेवा के सत्यापित भाग को वेतन पूंजी, निस्तारण पूंजी और अन्य मुसंमत अधिलेख के प्रति-निवेश से या कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर सत्यापित कराया जाता है ।

(ii) दूसरा प्रक्रम :—सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में सेवा के सत्यापन के प्रमाणपत्रों की संवीक्षा करते समय ऐसे अन्य लोगों, अपूर्णताओं या कमियों का भी पता लगाया जाएगा और उनकी पूर्ति की जाएगी जिनका परिलब्धियों के अवधारण और पेंशन के लिए अर्हक सेवा से सीधा संबंध है । औसत परिलब्धियों के लिए सेवा के अन्तिम दस मासों के दौरान कर्मचारी द्वारा ली गई या ली जाने वाली परिलब्धियों की शुद्धता पर विचार किया जाएगा, किंतु वास्तविक सत्यापन कर्मचारी की सेवानिवृत्त की तारीख के पूर्ववर्ती 24 मास की अवधि तक की परिलब्धियों के लिए किया जाएगा ।

(iii) तीसरा प्रक्रम :—सम्यक् रूप से पूर्ण प्रहप 2 सेवानिवृत्ति की तारीख के तीन मास पूर्व सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारी से, अभिप्राप्त किया जाएगा ।

33. (1) अर्हक सेवा और औसत परिलब्धियां तथा अनुज्ञेय पेंशन और उपदान अवधारित करने की प्रक्रिया कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख के तीन मास पूर्व बोर्ड के सचिवालय में पूरी कर ली जाएगी ।

(2) पेंशन संगणना पंजी की एक प्रति सेवानिवृत्त होने वाले कर्म-चारी को दी जाएगी ।

34. (1) पेंशन कागजपत्रों की समाधानप्रद संवीक्षा के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी पेंशन के संदाय के लिए आवश्यक मंजूरी प्रदान करेगा ।

(2) वैध और पर्याप्त कारणों को छोड़कर सेवा अधिकारी सेवा-निवृत्ति की तारीख से कम से कम एक मास पूर्व आवश्यक पेंशन संदाय आदेश जारी करेगा ।

35. मंजूरी के पश्चात् पेंशन का पुनर्विचारण :—(1) इन नियमों के नियम 7 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अन्तिम निर्धारण के पश्चात्

एक बार मंजूर की गई पेंशन कर्मचारी के अहितकर हन में पुनरीक्षित नहीं की जाएगी किन्तु ऐसा पुनरीक्षण बाद में पता चलने वाली किसी निमित्तीय भूल के कारण आवश्यक होने पर किया जा सकता है।

परंतु पेंशन की कोई भी पुनरीक्षण पेंशनभोगी के अहितकर हन में कोई भी सहायता के बिना नहीं किया जाएगा यदि निमित्तीय भूल का पता पेंशन प्राधिकृत किए जाने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के बाद चलता है।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी को एक सूचना की तारीख की जाएगी जिसमें उसके सूचना की प्राप्ति की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर पेंशन के अधिक संदाय का प्रतिदाय करने की अपेक्षा की जाएगी।

(3) सूचना का अनुपालन करने में उसके असफल रहने पर अधिक संदाय का समायोजन भविष्य में पेंशन के कम संदाय द्वारा एक या अधिक किस्तों में जैसा विनिश्चय किया जाए, किया जाएगा।

36. जब किसी कर्मचारी की सेवा में रहने हुए मृत्यु हो जाती है तब कुटुम्ब पेंशन का अवधारण और प्राधिकरण :—(1) सेवा में रहने हुए किसी कर्मचारी की मृत्यु के बारे में सूचना की प्राप्ति पर प्रह्व 5 में विधवा या विधुर से कुटुम्ब पेंशन का दावा प्राप्त करने के लिए तुरंत कार्रवाई प्रारम्भ की जाएगी।

(2) यदि मृतक कर्मचारी का केवल एक या अधिक अव्यक्त बालक उत्तरजीवी है तो बालक/बालकों का संरक्षक दावा कर सकता है।

(3) संरक्षक से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह ऐसे बालक की ओर से यदि उसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर ली है तो, उक्त प्रह्व में कोई दावा प्रस्तुत करे और ऐसा बालक स्वयं उक्त प्रह्व में दावा प्रस्तुत कर सकता है।

37. प्रह्व 6 का पूरा किया जाना :—(1) सेवा के सत्यापन और प्रह्व 6 के पूरा किए जाने से संबंधित कार्य विहित प्रक्रिया के अनुसार तुरंत किया जाएगा।

(2) कुटुम्ब पेंशन के लिए परिलिखियों के अवधारण के प्रयोजन के लिए परिलिखियों की शुद्धता का सत्यापन कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से एक वर्ष पूर्व की अधिकतम अवधि सीमित रहेगा।

(3) मृत्यु की तारीख को असाधारण छुट्टी पर होने वाले कर्मचारी की दशा में, परिलिखियों की शुद्धता का सत्यापन असाधारण छुट्टी के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष पूर्व की अवधि तक सीमित रहेगा।

(4) अर्हक सेवा और अर्हक परिलिखियों के अवधारण की प्रक्रिया कर्मचारी मृत्यु की तारीख के बारे में सत्यापन की प्राप्ति से एक मास के भीतर पूरी कर ली जाएगी और कुटुम्ब पेंशन की रकम की तदनुसार संगणना की जाएगी।

38. मृतक पेंशनभोगियों को वास्तव कुटुम्ब पेंशन की मंजूरी :—(1) पेंशनभोगी की मृत्यु के बारे में सत्यापन की प्राप्ति पर यह अभिनिश्चित किया जाएगा कि क्या कोई कुटुम्ब पेंशन मृतक पेंशनभोगी की वास्तव संदेय है।

(2) यदि मृतक पेंशनभोगी को कोई विधवा/विधुर उत्तरजीवी रहता है तो पेंशन संदाय आदेश में यथा उदाहित कुटुम्ब पेंशन की रकम पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख से ठीक अगले दिन से विधवा/विधुर को संदेय हो जाएगी।

(3) संदाय संबंधित विधवा/विधुर से मृत्यु प्रमाणपत्र द्वारा सम्बन्ध से सम्बंधित आदेश की प्राप्ति पर प्रारंभ हो जाएगा।

(4) यदि मृतक पेंशनभोगी का कोई बालक उत्तरजीवी रहता है/रहते हैं, तो उसे बालक/बालकों का संरक्षक प्रह्व 5 में दावा प्रस्तुत कर सकेगी।

(5) यदि पुत्र/अविवाहित पुत्री, अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तो वह स्वयं प्रह्व 5 में दावा प्रस्तुत कर सकेगा/कर सकेगी।

(6) दावा प्राप्ति होने पर कुटुम्ब पेंशन, प्रह्व 7 में मंजूर की जाएगी और पेंशन संदाय आदेश जारी किया जाएगा।

(7) यदि कोई विधवा या विधुर जिसे कुटुम्ब पेंशन मिल रही है, पुनः विवाह कर लेती है/कर लेता है और उसके पुनः विवाह के समय उसके पूर्व पति/पत्नी से कोई बालक है या हैं तो ऐसा विवाहित व्यक्ति ऐसे बालक या बालकों की ओर से कुटुम्ब पेंशन लेने के लिए पात्र होगा, यदि वह व्यक्ति ऐसे बालक या बालकों का संरक्षक बना रहे।

(8) यदि किसी कारणवश पुनर्विवाहित व्यक्ति ऐसे बालक या बालकों का संरक्षक नहीं रह जाता है तो कुटुम्ब पेंशन उक्त व्यक्ति को संदेय होगी जो तत्काल प्रवृत्त व्यक्ति के अर्थों में ऐसे बालक या बालकों के संरक्षक के रूप में कार्य करने का हक्कार है और ऐसा व्यक्ति कुटुम्ब पेंशन के संदाय के लिए प्रह्व 5 में एक दावा प्रस्तुत कर सकेगा।

(9) संरक्षक से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह पुत्र या अविवाहित पुत्री को ओर से, यदि उसने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है, तो कोई दावा प्रस्तुत करे और ऐसा व्यक्ति उक्त प्रह्व में स्वयं दावा प्रस्तुत कर सकता है।

(10) उपबंड 8 और उपबंड 9 में निर्दिष्ट दावा प्राप्त होने पर कुटुम्ब पेंशन प्रह्व 8 में मंजूर की जाएगी।

#### अध्याय 8

39. पेंशन का संदाय :—(1) कुटुम्ब पेंशन से विधवा पेंशन उक्त तारीख से संदेय हो जाएगी जिस तारीख को कर्मचारी स्थान में नहीं रह जाता है।

(2) पेंशन जिसके अंतर्गत कुटुम्ब पेंशन भी है, उक्त दिन के लिए संदेय होगी जिस दिन उसके पाने वाले की मृत्यु हो जाती है।

40. सभी पेंशनें भारत में रुपये में संदेय होंगी।

41. पेंशन मासिक दरों पर नियत की जाएगी और अगले मास के प्रथम दिन को या उसके परवान प्रतिमास संदेय होगी।

42. एक वर्ष से अधिक के लिए न निकाली गई क्षेत्र पेंशन का संदाय सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा।

43. (1) ऐसे सभी कुटुम्ब पेंशन पाने वालों से जिन्होंने पेंशन उनके विवाह या पुनः विवाह पर समाप्त की जा सकती है, विहित प्रह्व में एक घोषणा प्रति छमाही अभिप्राप्त की जाएगी।

(2) कुटुम्ब पेंशन पाने वाली किसी विधवा की दशा में, उपनियम (1) में निर्दिष्ट घोषणा केवल प्रथम अवसर पर अभिप्राप्त की जाएगी यदि वह अपना विवाह होने की दशा में तुरंत अधिकारी को रिपोर्ट करती है।

44. पेंशनभोगी की पहचान पेंशन संदाय आदेश में दर्ज उसके निजी पहचान चिह्नों और रसीद पर हस्ताक्षरों को मूल संदाय आदेश पर किए गए नमूना हस्ताक्षरों से तुलना करके की जाएगी। यदि कोई पेंशनभोगी अपने नाम के हस्ताक्षर नहीं कर सकता तो रसीद पर उसके अंगूठा छाप की तुलना संवितरण अधिकारी के आदेश पेंशन संदाय आदेश पर पहले ही लिए गए मूल छाप से की जाएगी। पेंशनभोगी की पहचान उसमें और संवितरण अधिकारी के आदेश पेंशन संदाय आदेश की एक प्रति पर लगाए गए उसके फोटो के बीच तुलना से भी की जाएगी।

45. (1) पेंशनभोगी के संदाय पेंशनभोगी के बालक/बालकों के मृत्यु पर डाक मनीषाईर द्वारा किया जाएगा।

46. पेंशन का संदाय बोर्ड के कार्यालय में किया जाएगा।

नामनिर्देशन :- समय-समय पर यथा संगोष्ठित तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (मृत्यु-तथा-सेवानिवृत्ति) उपदान नियम, 1983 के अधीन कर्मचारी द्वारा किए गए नामनिर्देशन पेंशन की वकाला के संदाय के लिए पर्याप्त होंगे :

परन्तु ऐसे किसी कर्मचारी ने जो सेवानिवृत्त होने वाला है, सेवानिवृत्ति की तारीख के पूर्व या उसके पश्चात् तीन मास के भीतर तीन प्रतिशत में विहित प्रहय में कोई नामनिर्देशन प्रस्तुत किया है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति को उसकी मृत्यु के पश्चात्, पेंशन के मद्दे या नामनिर्देशन की तारीख के पूर्व या पश्चात् उसे देय सभी धन जो उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व अस्तित्व में रहता है, प्राप्त करने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को प्रदत्त किया गया है तो पेंशन की वकाला इस प्रकार नामनिर्देशित व्यक्ति को संदाय की जाएगी।

#### अध्याय 9

##### पेंशन की संगणना

48. कर्मचारी अपनी पेंशन के एक तिहाई से अधिक भाग के एक संदाय के लिए संराशित कराने का हकदार होगा। यदि संराशित की जा, वाली पेंशन का भाग रूप का प्रभाव हो जाता है तो रूप के ऐसे प्रभाव के संराशिकरण के प्रयोजन के लिए उद्देश्य की जाएगी। तथापि, ऐसा कोई कर्मचारी जिसके विरुद्ध उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख के पूर्व कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां संस्थित की गई हैं या कोई पेंशनभोगी जिसके विरुद्ध उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात् ऐसी कार्यवाहियां संस्थित की गई हैं, ऐसी कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान अपनी पेंशन/अन्तिम पेंशन के किसी प्रभाग को संराशित कराने का पात्र होगा।

49. कर्मचारी चिकित्सीय परीक्षा के बिना पेंशन की संराशित करने का पात्र होगा।

50. संराशिकरण के लिए आवेदन सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात् बोर्ड के कार्यालय में किया जाएगा। तथापि, यदि सेवानिवृत्ति अधिव्यपिता पर हुई है, तो आवेदन अधिव्यपिता की तारीख के पूर्व प्रस्तुत किया जा सकता है।

51. आवेदक संराशिकरण के लिए अपने आवेदन के साथ विहित प्रहय में एक नामनिर्देशन करेगा जिसमें उस तारीख को या उसके पूर्व की तारीख को संराशिकरण आत्यंतिक हो जाता है, संराशित मूल्य प्राप्त किए बिना उसकी मृत्यु की दशा में पेंशन का संराशित मूल्य प्राप्त करने का अधिकार एक या अधिक व्यक्तियों को प्रदत्त करेगा।

52. पेंशन का संराशिकरण उस तारीख को आत्यंतिक होगा जिस तारीख को विहित प्रहय में आवेदन बोर्ड के कार्यालय में प्राप्त किया जाता है और पेंशनभोगी को अपना आवेदन वापस लेने का कोई विकल्प नहीं होगा।

परन्तु ऐसी दशा में जहां अधिव्यपिता की मृत्यु पर सेवानिवृत्ति होने वाला कोई कर्मचारी अधिव्यपिता की तारीख के पूर्व पेंशन के संराशिकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है जहां संराशिकरण सेवानिवृत्ति की तारीख के ठीक अगली तारीख को आत्यंतिक होगा।

परन्तु यह और कि बोर्ड को पेंशन के संराशित मूल्य का संदाय करने का कोई दायित्व नहीं होगा यदि कर्मचारी की अधिव्यपिता की तारीख के पूर्व मृत्यु हो जाती है या वह ऐसी सेवानिवृत्ति के पूर्व पेंशन का दावा समपहत कर देता है।

53. समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए विहित और उस तारीख को जिस तारीख को संराशिकरण आत्यंतिक हो जाता है, आवेदक को लागू मूल्यों की शरतों के अनुसार अन्तिम रूप

से संगणित पेंशन के संराशित मूल्य की रकम अगले उच्चतर रूप तक पूर्णांकित की जाएगी।

54. आवेदक जिसने अपनी अन्तिम पेंशन के प्रभाग को संराशित कराया है और संराशिकरण के पश्चात् उक्त पेंशन मूल्य की रूप में पुनरीक्षित की गई है और बढ़ाई गई है तो आवेदक को बढ़ाई गई पेंशन और पहले ही प्राधिकृत किए गए संराशित मूल्य के प्रतिनिर्देश से अवधारित संराशित मूल्य के बीच अन्तर का संदाय किया जाएगा।

55. (1) यदि किसी पेंशनभोगी को उस तारीख को या उसके पश्चात् जिसको पेंशन आत्यंतिक होती है, संराशित मूल्य प्राप्त किए बिना मृत्यु हो जाती है, तो संराशित मूल्य का संदाय उसके नामनिर्देशित(यों) को किया जाएगा।

(2) यदि ऐसा कोई नामनिर्देशन नहीं है, या यदि किया गया नामनिर्देशन विद्यमान नहीं है तो संराशित मूल्य का संदाय तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (मृत्यु-तथा-सेवानिवृत्ति) उपदान नियम, 1983 में उपर्युक्त रीति में कुटुम्ब को किया जाएगा।

(3) यदि किसी दशा में संराशित मूल्य का उपनियम (1) और (2) में रीति में संदाय नहीं किया जा सकता तो उक्त संदाय उसके वारिसों को किया जाएगा।

56. वह तारीख जिसको पेंशन के संराशित मूल्य का संदाय आवेदक को किया गया था, पेंशन संदाय आदेश के दोनों भागों में दर्ज की जाएगी।

57. पेंशनभोगियों को अनुज्ञेय रहत पेंशन के संराशिकरण के पश्चात् भी पेंशन की मूल रकम के अधार पर संगणित की जाएगी।

58. पेंशन का संराशित प्रभाग सेवानिवृत्ति की तारीख से पन्द्रह वर्ष के पश्चात् प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

#### अध्याय 10

##### प्रतीक

59. जिन कर्मचारियों की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है, उन कर्मचारियों के कुटुम्बों को अग्रिम का संदाय :- (1) ऐसे सभी नियमित कर्मचारियों के कुटुम्ब जिनकी (वेतन महति या उसके बिना कर्तव्य पर या छुट्टी पर रहते हुए) सेवा में मृत्यु हो जाती है, ऐसे अग्रिम के रूप में जो मृतक के 3 मास के वेतन या 3,000 रूपए तक, इनमें से जो भी कम होगा, तक सीमित होगा, रहने के लिए पात्र होंगे।

(2) अग्रिम आवेदन पर और अपेक्षित वचनबद्ध पर बोर्ड के लेखाधिकारी या संभ्रम प्राधिकारी द्वारा मंजूर किया जाएगा।

(3) अग्रिम जब मंजूर कर दिया जाता है तो वह देय वेतन की वकाला, मृत्यु उपदान, भविष्यनिधि संवयन या मंजूरी की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर मृतक को देय किसी अन्य संदाय के मद्दे समाधो-जित किया जाएगा।

60. निर्वचन :- जहां इन नियमों के निर्वचन के बारे में कोई शंका उत्पन्न होती है वहां उसे स्पष्टीकरण के लिए केन्द्रीय सरकार को निर्देशित कर दिया जाएगा।

61. स्थिल करने की शक्ति :- जहां बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि इन नियमों में से किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में कोई असम्यक् कष्ट काहित होगा, वहां बोर्ड अपने विवेकानुसार, उस नियम की शोशयों को उस सीमा तक और ऐंसे प्रपत्रों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह न्यायसंगत और सम्यक् रीति से किसी मामले के संबंध में कार्रवाई करने के लिए आवश्यक समझे, समाप्त कर सकता है अथवा उन्हें स्थिल कर सकता है।

62. व्यावृत्ति :—(1) इन नियमों के प्रारम्भ पर, तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (सेवा की साधारण शर्तें) नियम, 1984 का नियम 23 उस सीमा तक जिस तक वह इन नियमों में अन्वेषित किन्हीं मामलों का अर्थ कर सकता है, उपांत्यत किया सम्झा जाएगा।

(2) ऐसा कोई मामला जो इन नियमों के अन्तर्गत नहीं आता है, लागू और समुचित सीमा तक समय-समय पर तथा संशोधित (केन्द्रीय विधिन सत्र) पेंशन नियम, 1972 में अन्वेषित गुणगन उपदेशों के अनुसार विनियमित होगा।

प्ररूप 1

[नियम 32 (2) देखिए]

कुटुम्ब के ध्योरे

कर्मचारी का नाम \_\_\_\_\_  
 पदनाम \_\_\_\_\_  
 जन्म तारीख \_\_\_\_\_  
 नियुक्ति की तारीख \_\_\_\_\_  
 मेरे कुटुम्ब के सदस्यों के ध्योरे \_\_\_\_\_  
 जैसे कि वे \_\_\_\_\_ को थे।

क्रम स.	कुटुम्ब के सदस्यों के नाम	जन्म तारीख	कर्मचारी के साथ नातेदारी	सचिव के हस्ताक्षर	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					

मेरे सचिव को कोई भी परिवर्धन या परिवर्तन अधिमूर्चित करके उपर्युक्त विशिष्टियों को अद्यतन रखने का भी वचन देता हूँ।

स्थान \_\_\_\_\_

तारीख \_\_\_\_\_

कर्मचारी के हस्ताक्षर

टिप्पणी :—पत्नी और पति के अन्तर्गत क्रमशः न्यायिक रूप से पृथक हुए पत्नी और पति भी हैं।

प्ररूप 2

[नियम 32(3)(iii) देखिए]

सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी से उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से आठ मास पूर्व अधिप्राप्त की जाने वाली विशिष्टियाँ

1. नाम
2. (क) जन्म तारीख  
(ख) सेवानिवृत्ति की तारीख
3. हस्ताक्षर के दो नमूने (जो एक अलग पन्ने पर दिए जाएँगे) जो किसी राजपत्रित सरकारी सेवक या बोर्ड के किसी अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित हों।
4. पत्नी का पति के साथ संयुक्त फोटो की पासपोर्ट आकार की तीन प्रतियाँ (जो लेखा अधिकाारी द्वारा अनुप्रमाणित की जाएँ)।
5. दो पत्रियाँ जिनमें ऊँचाई और पहचान चिह्न के विवरण हैं, जो किसी राजपत्रित सरकारी सेवक या बोर्ड के किसी अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित किए गए हैं।

1. दो पत्रियाँ जिनमें से प्रत्येक पर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दो अपने हस्ताक्षर करने योग्य साक्षर नहीं हैं, उसके बायें हाथ के अंगूठे और अंगुलियों की छापें, जो सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित की गई हैं, दी जाएगी। यदि ऐसा कर्मचारी शारीरिक निःशक्तता के कारण बायें हाथ के अंगूठे और अंगुलियों की छाप देने में असमर्थ है तो वह दायें हाथ के अंगूठे और अंगुलियों की छाप दे सकता है। जहाँ कर्मचारी के दोनों हाथ न हों वहाँ वह अपने पाँव की अंगुलियों की छापें दे सकता है। छापों को किसी राजपत्रित सरकारी सेवक या बोर्ड के किसी अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित किया जाना चाहिए।



5

2. यदि कर्मचारी अभिवाहिय है तो केवल अपने फोटो के पासपोर्ट आकार की दो प्रतियां ही दी जाए।
  3. जहां किसी कर्मचारी के लिए अपनी पत्नी या अपने पति के साथ फोटो देना सम्भव नहीं है वहां वह अलग फोटो दे सकेगा या दे सकेगी। फोटो सेवा अधिकारी द्वारा अनुमतिपत्र किए जाएंगे।
  4. यदि सम्भव हों तो कुछ महज दृश्य चिन्ह, जो दो से कम न हों, चिनिद्विष्ट करें।
  5. वर्तमान पता।
  6. सेवानिवृत्ति के पश्चात् पता।
  7. प्ररूप 1 में कुटुम्ब के अंगरे
  8. उल्लेख करें कि क्या अन्य किसी स्रोत जैसे सेना, किसी राज्य सरकार और या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम/स्वायत्त/निकाय स्थानीय निधि, से कुटुम्ब पेंशन अनुसूच्य है।
- स्थान-----  
तारीख-----

हस्ताक्षर  
पदनाम  
कार्यालय

प्ररूप 3

[नियम 32 (2) देखिए]

पेंशन और उपदान का निर्धारण करने के लिए प्ररूप

भाग 1

1. कर्मचारी का नाम
2. पितृ का नाम (और यदि कर्मचारी स्त्री है तो उसके पति का नाम भी)
3. जन्म तारीख (इसकी सन् के अनुसार)
4. धर्म
5. स्थायी आवास का पता, ग्राम, शहर, जिला और राज्य के नाम सहित।
6. वर्तमान या अंतिम निवृत्ति, जिसके अंतर्गत स्थापन का नाम भी है :--
7. सेवा आरंभ की तारीख
8. सेवा समाप्ति की तारीख
9. (i) सैनिक सेवा की वह कुल अवधि जिसके लिए पेंशन या उपदान मंजूर किया गया था  
(ii) सैनिक सेवा के लिए प्राप्त किसी पेंशन/उपदान की रकम और उसकी प्रकृति।
10. पूर्व मिलित या के लिए प्राप्त किसी पेंशन/उपदान की रकम और उसकी प्रकृति
11. तब जिस सरकार के अधीन की गई है वह नियोजन के क्रम के अनुसार-- वर्ष मास दिन
12. किस वर्ग की पेंशन लागू है।
13. वह तारीख जिसको निम्नलिखित के लिए कार्यवाही आरंभ की गई थी--  
(i) "वेदांकी प्रमाणपत्र" अंगिप्राप्त करना,  
(ii) पेंशन के लिए अर्हक सेवा और उपलब्धियों का निर्धारण
14. सेवा पुस्तक में लोपों, त्रुटियों या कमियों के अंगरे, जिनकी उपेक्षा की गई है।
15. अर्हक सेवा की कुल अवधि (व्यवधान की अवधियों को जोड़ने के प्रयोजन के लिए एक मास तीस दिन के बराबर संगणित किया जाता है।)
16. अनर्हक सेवा की अवधियां--  
(i) माफ किया गया सेवा व्यवधान  
(ii) ऐसी असाधारण छुट्टी जो पेंशन के लिए अर्हित न करती हो।  
(iii) निलंबन की वह अवधि जो अर्हक न मानी गई हो।  
(iv) कोई अन्य सेवा जो अर्हक न मानी गई हो
17. उपदान के लिए संगणित की जाने वाली उपलब्धियां

योग :

तारीख से

तारीख तक

1. शीर्षत उपलब्धियां

\* सेवा के अंतिम दस मास के दौरान ली गई उपलब्धियां

धारित पद	तारीख से	तारीख तक	वेतन	वैयक्तिक या विशेष वेतन	शीर्षत उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6
1.	वह तारीख जिसको कर्मचारी से प्ररूप 2 अधिप्राप्त किया गया है। कर्मचारी की सेवा निवृत्ति की तारीख से आठ मास पूर्व लिया जाना है।				
1.	(i) प्रस्तावित पेंशन				
	(ii) प्रस्तावित श्रेणी आधारित रहत				
	प्रस्तावित मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपदान				
1.	पेंशन किस तारीख से प्रारंभ होगी				
	यदि बोर्ड के कर्मचारियों के विरुद्ध सेवानिवृत्ति से पूर्व कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां शुरू की गई हैं तो अंतिम पेंशन की प्रस्तावित रकम।				
1.	उपदान में से बसूली-योग्य बोर्ड के शोधों के व्योरे--				
	(i) आवास के आर्बंटन के लिए अनुज्ञप्ति				
	(ii) अन्य शोध				
1.	सेवा मृत्यु-तथा-सेवानिवृत्ति उपदान के लिए तामनिर्देशन किया गया है।				
1.	क्या कुटुम्ब पेंशन कर्मचारी को लागू है और यदि लागू है तो--				
	(i) कुटुम्ब पेंशन के लिए संगणित की जाने वाली उपलब्धियां				
	(ii) सेवा निवृत्ति के पश्चात कर्मचारी को निम्नलिखित वशा में मृत्यु हो जाने पर उसके कुटुम्ब को संवेय कुटुम्ब पेंशन की रकम :--				
	(ख) 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व मृत्यु				रूप-----
	(ख) 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात मृत्यु				रूप-----

\* (i) किसी ऐसे मामले में जहां अंतिम दस मास में ऐसी अवधियां भी हैं जिनको शीर्षत उपलब्धियों की संगणना करने के लिये हिसाब में नहीं लिया जाता है, वहां शीर्षत उपलब्धियों की संगणना करने के लिए उसके पहले की उतनी ही अवधि को हिसाब में लिया जाएगा।

(ii) शीर्षत उपलब्धियों की संगणना प्रत्येक मास में दिनों की वास्तविक संख्या पर आधारित होगी।

(iii) कुटुम्ब के पूर्ण अर्थात् व्योरे जैसे वे प्ररूप 1 में दिए गए हैं :--

सं.	कुटुम्ब के सदस्यों के नाम	जन्म तारीख	कर्मचारी से नाता
1	2	3	4

- ऊंचाई
- पहचान चिन्ह
- पेंशन के संदाय का स्थान
- पेंशन और उपदान किस लेखा शीर्षक के नाम डाले जाने हैं।

लेखा अधिकारी

भाग 2  
अनुभाग 1

खा मुख्यांकन :

1. ग्राहक सेवा की कुल अवधि जो अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति या अशक्त या प्रतिकार या अनिर्धार्य से वानिवृत्ति पेंशन और उपदान के लिए स्वीकार की गई। अनुज्ञात अवधि (इस प्ररूप के भाग 1 में उपरि उचित अनुज्ञात अवधि से भिन्न) की नामजूरी के कारण, यदि कोई हों, लिए जाएंगे।

- 2. अधिर्षिता या सेवानिवृत्ति या अशक्त, या प्रतिकर या अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या उपदान की वह रकम जो स्वीकार कर ली गई है।
- 3. अधिर्षिता या सेवानिवृत्ति या अशक्त या प्रतिकर या अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन और उपदान किस तारीख से अनुज्ञेय है।
- 4. अधिर्षिता या सेवानिवृत्ति या अशक्त या प्रतिकर या अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन और उपदान किस लेखा शीर्ष मदे प्रभाय है।
- 5. सेवानिवृत्ति के परचात् कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की दशा में कुटुम्ब के हकदार सदस्यों को संदेय होने वाली कुटुम्ब पेंशन की रकम।

प्रनुभाग 2

- 1. कर्मचारी का नाम .....
- 2. पेंशन या उपदान का वर्ग .....
- 3. प्राधिकृत पेंशन की रकम .....
- 4. प्राधिकृत उपदान की रकम .....
- 5. पेंशन प्रारंभ होने की तारीख .....
- 6. सेवानिवृत्ति के परचात् निम्नलिखित दशा में मृत्यु हो जाने पर अनुज्ञेय कुटुम्ब पेंशन की रकम--  
 (i) 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व मृत्यु, या  
 (ii) 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के परचात् मृत्यु .....
- 7. पेंशन पर अनुज्ञेय श्रेणी अधिर्षित रहत की रकम .....
- 8. उपदान का संदेय प्राधिकृत किए जाने से पूर्व उसमें से वसूली योग्य सरकारी शोष्य। .....
- 9. नकद निशेप की रकम या उपदान की रकम जो अनिर्धारित शोष्यों के समायोजन के लिए विधरित की गई है। .....
- 10. वह तारीख जिसकी पेंशन पत्र लेखा अधिकारी द्वारा प्राप्त किए गए हैं। .....

पेंशन गणना पची

- क-- नाम .....
- ख-- उस पद का नाम जिससे सेवानिवृत्त हुआ है .....
- ग-- पद जिस पर अन्तिम बार सेवा की है .....
- घ-- जन्म तारीख (अंकों और शब्दों में) .....
- ङ-- अधिर्षिता/सेवानिवृत्ति की तारीख .....
- च-- नियम जिनके अधीन पेंशनिक प्रसुविधाएं निर्धारित की गईं .....
- छ-- पेंशन के लिए अर्हक सेवा जिसमें पूरक रूप से निम्नलिखित उपदर्शित किया गया हो:  
 (i) अर्हक सेवा के लिए परिवर्धन जैसे उदाहरण के लिए,  
 (ii) सेवा की वह अवधि जो पेंशन के लिए अर्हक नहीं है जिसमें प्रत्येक के सामने अर्हक न होने के कारण उपदर्शित किए गए हों। .....
- ज-- सेवानिवृत्ति/अधिर्षिता के पूर्व पिछले एक मासों के दौरान दी गई उपलब्धियों (वेतन सहित) (वेतन, विशेष वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता, निजी वेतन, महंगाई वेतन, अंतरिम राहत, आदि)। .....
- झ-- शीघ्रत उपलब्धियों की संगणना जिन पर पेंशन नियत की गई है। .....
- ण-- मंजूर की गई पेंशन और कुटुम्ब पेंशन की कुल रकम .....
- ट-- पेंशन की संगणना के व्योरे  
 (i) संगणित मासिक पेंशन की प्रतिशतता रकम, और  
 (ii) प्राधिकृत पेंशन के संगणित मूल्य की रकम .....
- ठ-- मृत्यु-तथा-सेवानिवृत्ति उपदान की संगणना .....
- ड-- मंजूर किए गए मृत्यु-तथा-सेवानिवृत्ति उपदान की रकम .....
- ढ-- टिप्पणियां .....

प्ररूप 4

[नियम 28 (1) देखिए]

कुटुम्ब पेंशन के दिए जाने के लिए किसी मृतक कर्मचारी की विधवा/विधुर को भेजे जाने वाले पत्र का प्रारूप

सेवा में,

विषय : स्वर्गीय श्री/श्रीमती-----की बाधत कुटुम्ब पेंशन का संदाय।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (पेंशन) नियम, 1989 के निबंधनों के अनुसार बोर्ड के कार्यालय में स्वर्गीय श्री/श्रीमती----- (पदनाम) की विधवा/विधुर के रूप में आपको कुटुम्ब पेंशन संदेय है।

2. आपकी सलाह दी जाती है कि कुटुम्ब पेंशन की मंजूरी के लिए दादा संलग्न प्ररूप 5 में प्रस्तुत किये जाएं।
3. कुटुम्ब पेंशन आपको मृत्यु या पुनः विवाह तक इनमें से जो भी पूर्वतर हो संदेय होगी। आपकी मृत्यु या पुनः विवाह हो जाने की दशा में कुटुम्ब पेंशन संरक्षक की मार्फत बालक या बालकों को, यदि कोई हों, दी जाएगी।

भवदीय,

लेखा अधिकारी

प्ररूप 5

[नियम 30(1) और नियम 38(4), (5) और (6) देखिए]

कर्मचारी पेंशनभोगी की मृत्यु पर कुटुम्ब पेंशन दिए जाने के लिए आवेदन का प्ररूप

1. आवेदक का नाम :

(i) विधवा/विधुर

(ii) यदि मृतक व्यक्ति का/के उत्तरजीवी/बालक है/हैं तो संरक्षक

2. मृतक कर्मचारी पेंशनभोगी की/के उत्तरजीवी विधवा/विधुर और बालक के नाम और आयु।

क्रम सं.	नाम	मृतक व्यक्ति के साथ नातेदारी	जन्म तारीख ईसवी सन् के अनुसार
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

3. मृतक पेंशनभोगी के पेंशन संवाय आदेश का नाम और संख्या

4. कर्मचारी पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख

5. मृतक कर्मचारी पेंशनभोगी ने अंतिम बार किस कार्यालय में सेवा की थी।

6. क. यदि आवेदक कोई विधवा/विधुर है तो सेवा पेंशन की वह रकम जो उसके पति/पत्नी की मृत्यु की तारीख को उसे मिल रही थी।

7. आवेदक का पूरा पता।

8. पेंशन और उपदान के संवाय का स्थान और बैंक

9. संलग्नक :

(i) आवेदक के हस्ताक्षर के दो नमूने, जो सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित किए हैं (दो अलग-अलग कागजों पर प्रस्तुत किए जाएं)।

(ii) आवेदक के फोटो की पासपोर्ट आकार की दो प्रतियां, जो सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित की गई हैं।

(iii) दो पत्तियां, जिनमें से प्रत्येक पर आवेदक के बाएं हाथ के अंगूठे\* और अंगुलिया की छापें हैं जो सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित की गई हैं। (ii)

(iv) आवेदक की सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित विवरण-नामावली जिसमें (क) ऊंचाई और (ख) हाथ, चेहरे आदि पर के वैयक्तिक चिह्न, यदि कोई हों, उपदर्शित किए गए हों। (कुछ सहजदृश्य चिह्न विनिर्दिष्ट कीजिए जो, यदि संभव हो तो, दो से कम न हों)।

(व) प्रतियां प्रस्तुत की जाएं।

(v) आयु का/के प्रमाणपत्र (मूल प्रमाणपत्र, जो अनुप्रमाणित प्रतियां सहित) जिसमें/जिनमें बालकों की जन्म-तारीखें दर्शित की गई हैं। यह प्रमाणपत्र नगरपालिका प्राधिकारियों का, अथवा स्थानीय पंचायत का, अथवा, यदि बालक किसी मान्यता-प्राप्त विद्यालय में पढ़ रहा है तो ऐसे विद्यालय के प्रधान का होना चाहिए। (यह जानकारी ऐसे बालक या बालकों की वास्तव प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिसके या जिनके जन्म-तारीख संबंधी विवरण कोई कार्यालय अध्यक्ष के पास उपलब्ध न हों)।

10. उपदर्शित करें कि क्या किसी अन्य स्रोत-स्रोत या ओ/या. केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार के अधीन पब्लिक सेक्टर उपभोग/स्वायत्त निकाय/स्थानीय निधि से कुटुम्ब पेंशन अनुज्ञेय है।

11. आवेदक के हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे की छाप\*

\* उस दशा में प्रस्तुत की जाए जब कि आवेदक इतना साक्षर न हो कि अपने नाम के हस्ताक्षर कर सके।

12. निम्नलिखित द्वारा अनुप्रमाणित:--

	नाम	पूरा पता	हस्ताक्षर
(i)	-----	-----	-----
(ii)	-----	-----	-----

13. साक्षी

(i)	-----	-----	-----
(ii)	-----	-----	-----

टिप्पण :- अनुप्रमाणित दो राजस्वित्त सरकारी सेवाओं द्वारा अथवा उन नगर/गांव या परगने के, जिसमें आवेदक निवास करता है, दो या अधिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए।

\*उक्त दस्ता में प्रस्तुत किया जाए, जबकि आवेदक इतना साक्षर न हो कि अपने नाम के हस्ताक्षर कर सके।

अवधकालक की ओर से कुटुम्ब पेंशन के लिए आवेदन करते समय विधवा के पुनः विवाह को दशा में विवाह को कुटुम्ब पेंशन के लिए आवेदन में (i) अपने पुनः विवाह को तारोख, (ii) अपना पूरा पता देना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि वह नए सिरे से आवेदन करे या वे दस्तावेज प्रस्तुत करे जो उन कागज-पत्रों के साथ पहले से हो उपलब्ध हैं जिन पर कुटुम्ब पेंशन प्रारंभतः उसे ग्राह्य की गई थी।

प्ररूप 6

[नियम 37 (1) देखिए]

सेवा में रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु की दशा में कुटुम्ब पेंशन और मृत्यु-तथा सेवा निवृत्ति उपदान का संवाय निर्धारित और प्राधिकृत करने के लिए प्ररूप।

भाग 1

अनुभाग 1

1. मृतक कर्मचारी का नाम।
2. पिता का नाम (यदि कर्मचारी स्त्री है तो उसके पति का नाम भी)।
3. जन्म तारीख (ईसवी सन् के अनुसार)।
4. मृत्यु की तारीख (ईसवी सन् के अनुसार)
5. धर्म
6. किस कार्यालय, में अंतिम बार नियोजित था।
7. अंतिम बार धारित नियुक्ति।
8. सेवा आरंभ की तारीख।
9. सेवा समाप्ति की तारीख।
10. (i) सैनिक सेवा की वह कुल अवधि जिसके लिए, पेंशन उपदान मंजूर किया गया था, और  
(ii) सैनिक सेवा के लिए प्राप्त किसी पेंशन उपदान की रकम और उसकी प्रकृति।
11. पूर्व सिविल सेवा के लिए, यदि कोई हो, प्राप्त किसी पेंशन की रकम और उसकी प्रकृति।
12. सेवा जिस सरकार के अधीन की गई है वह नियोजन के क्रम के अनुसार।
13. वह तारीख जिसको कर्मचारी की मृत्यु की प्रज्ञापना प्राप्त हुई।
14. वह तारोख जिसको निम्नलिखित कार्यवाही प्रारंभ की गई थी--  
(i) मृत्यु-तथा-सेवा-निवृत्ति उपदान और कुटुम्ब पेंशन के लिए दावेदारों से समुचित प्ररूप में दावा या दावे अभिप्राप्त करना;  
(ii) वेवाकी प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करना ;  
(iii) आवास के अधिभोग के संबंध में शोष्यों से जित्त शोष्य निर्धारित करना ;  
(iv) मृत्यु-तथा-सेवा-निवृत्ति उपदान और कुटुम्ब पेंशन के लिए अर्हक सेवा और उपलब्धियां निर्धारित करना।
15. (i) क्या मृत्यु-तथा-सेवा-निवृत्ति उपदान के लिए नामनिर्देशन किया गया है।
16. मृत्यु-तथा सेवा-निवृत्ति उपदान/पेंशन के लिए अर्हक सेवा की अवधि।
17. अनर्हक सेवा अवधियां--  
(i) माफ किया गया सेवा ध्यवधान।  
(ii) उपदान के लिए अनर्हक प्रसाधारण छुट्टी।

तारीख से

तारीख तक

- (iii) निलम्बत की अवधि जो अनर्हक मानी गई है ।  
 (iv) कोई अन्य सेवा जो अनर्हक सेवा नहीं मानी गई है ।

अनर्हक सेवा की कुल अवधि

18. (क) मृत्यु-तथा-सेवानिवृत्ति उपदान के लिए संगणित की जाने वाली उपलब्धियां ।

(ख) मृत्यु-तथा-सेवानिवृत्ति उपदान की रकम ।

19. यदि कुटुम्ब पेंशन लागू है तो,

(1) प्रस्तावित कुटुम्ब पेंशन--

(क) बड़ी हुई दरों पर (यदि मृत्यु के समय तक की गई सेवा सात वर्ष से अधिक है)

(ख) साधारण दरों पर ।

(i) ऐसे किसी मामले में जहाँ अन्तिम दस मास के अन्तर्गत ऐसी कुछ अवधि भी है जिसकी शीतत उपलब्धियों की संगणना करने के लिए गणना नहीं की जानी है तो पिछली सनान अवधि का शीतत उपलब्धियों की संगणना करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा ,

(ii) शीतत उपलब्धियों की संगणना प्रत्येक मास के दिनों की वास्तविक संख्या पर आधारित होनी चाहिए ।

(iii) कुटुम्ब पेंशन की धार्यता की अवधि

तारीख से

तारीख तक

(क) बड़ी हुई दरों पर

(ख) साधारण दरों पर

20. वह व्यक्ति जिसे कुटुम्ब पेंशन संदेय है ।

नाम

मृतक कर्मचारी के साथ नातेदारी

पूरा डाक पता

21. उपादान में से वसूली योग्य सरकारी शोध्यों के शोधरे--

(i) अवास के अधिभोग के लिए अनुज्ञप्ति फीस ।

(ii) अन्य शोध्य ।

22. वह तारीख जिसको दावेदारों से दावे प्राप्त हुए ।

23. उक्त संरक्षक का नाम जो अवधकों की दशा में मृत्यु-तथा-सेवानिवृत्ति उपदान और कुटुम्ब पेंशन का संदाय प्राप्त करेगा ।

24. संदाय का स्थान ।

25. मृत्यु-तथा-सेवानिवृत्ति उपदान और कुटुम्ब पेंशन किस लेखा शोध्य के नाम खाले जाने हैं ।

स्थान

तारीख

लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर

भाग 2

अनुभाग 1

लेखा मुख्यांकन

1. अनर्हक सेवा की कुल अवधि जो निम्नलिखित के लिए स्वीकार की गई हैं--

(i) मृत्यु-तथा-सेवानिवृत्ति उपदान

(ii) कुटुम्ब पेंशन ।

2. शोध्यों के समाप्ति के पश्चात् उपदान की शुद्ध रकम ।

3. कुटुम्ब पेंशन, की रकम और धार्यता की अवधि :

रकम धार्यता की अवधि

यदि मृत्यु--

रूप तारीख से तारीख तक

(i) सात वर्ष की सेवा के पूर्व हुई है ।

(ii) सात वर्ष की सेवा के पश्चात् हुई है ।

अनुभाग. 2

1. मृतक कर्मचारी का नाम ।

2. कर्मचारी की मृत्यु की तारीख

3. वह तारीख जिसको पेंशन पत्र लेखा अधिकारी को प्राप्त हुए हैं ।

(2)

-21-

97/c

4. प्राधिकृत कुटुम्ब पेंशन की रकम।
5. प्राधिकृत उपदान की रकम।
6. कुटुम्ब पेंशन के प्रारंभ की तारीख।
7. वह तारीख जिसको कुटुम्ब पेंशन और उपदान का संवाय प्राधिकृत किया गया है।
8. उपदान से बसूली योग्य रकम।

स्थान  
तारीख

लेखा अधिकारी

प्रत्य 7

[नियम 38 (6) देखिए]

उस पत्र का प्रत्य जिसमें उस सेवानिवृत्ति कर्मचारी के, जिसकी मृत्यु सेवानिवृत्ति के पश्चात् हो जाती है किन्तु जो अपने पीछे कोई विधवा या विधुर नहीं छोड़ जाता/जाती, बालक या बालकों को कुटुम्ब पेंशन-मंजूर की जाती है:-

संख्या

तारीख

सेवा में,

विषय: बालक/बालकों को कुटुम्ब पेंशन का दिया जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तेल उद्योग विकास बोर्ड के/की श्री/श्रीमती ..... भूतपूर्व ..... (पदनाम), को उसकी सेवानिवृत्ति पर ..... से ..... रूप से प्राधिकृत की गई थी।

2. इस कार्यालय को इस आशय की सूचना प्राप्त हुई है कि श्री/श्रीमती ..... की मृत्यु ..... को हुई है और उसने अपनी मृत्यु के समय कोई भी विधवा/विधुर नहीं छोड़ी/छोड़ा, किन्तु निम्नलिखित बालक \* उसके उत्तरजीवी थे:-

क्रम सं.	नाम	पुत्र/पुत्री	जन्म तारीख इसकी सन् के अनुसार	कुटुम्ब पेंशन किस तारीख से संदेय नहीं रह गई है।
(1)				
(2)				
(3)				
(4)				

3. तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (पेंशन) नियमों के अनुसार कुटुम्ब पेंशन की रकम ऊपर वर्णित क्रम में उक्त बालकों को संदेय हो गई है। कुटुम्ब पेंशन अवयस्क की ओर से श्री/श्रीमती ..... को, जो संरक्षक है, संदेय होगी।

4. ऊपर वर्णित बालकों को ..... रूप से, प्रतिमास की कुटुम्ब पेंशन दिए जाने की मंजूरी दी जाती है।

5. संलग्नों की सूची में दी गई जानकारी की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता।

6. कृपया इस पत्र की प्राप्ति अभिलेखित की जाए और इस कार्यालय को यह सूचना दी जाए कि संरक्षक को कुटुम्ब पेंशन के संवाय संबंधी आवश्यक धनुदेश सम्बद्ध संवितरक प्राधिकारी को भेज दिए गए हैं।

भवदीय,

सहाय प्राधिकारी

संलग्नों की सूची

1. संरक्षक का स्थायी पता।
2. संवाय का स्थान।
3. वापेदार या संरक्षक के हस्ताक्षर के समूह अथवा वापेदार के अंगुलियों की छापें जो सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित हैं।

प्ररूप 8

[नियम 38 (10) देखिए]

उस पत्र का प्ररूप जिसमें विधवा/विधुर को, जिसे कुटुम्ब पेंशन मिल रही थी, मृत्यु भयवा पुनर्विवाह होने पर बालक या बालकों को कुटुम्ब पेंशन मंजूर की जाती है

सं.....  
कार्यालय.....  
तारीख.....

सेवा में,

विषय : बालक/बालकों को कुटुम्ब पेंशन की मंजूरी

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वर्गीय श्री/श्रीमती..... को जो इस कार्यालय में (पदनाम) थे/थी तारीख..... से..... रूप की कुटुम्ब पेंशन प्राधिकृत की गई थी। यह कुटुम्ब पेंशन विधवा, विधुर की मृत्यु तक भयवा पुनर्विवाह तक धाय थी।

2. इस कार्यालय में इस भयवा की सूचना प्राप्त हुई है कि श्री/श्रीमती..... की, तारीख..... को मृत्यु हो गई है, का तारीख..... को पुनर्विवाह हो गया है।

3. मृत्यु/पुनर्विवाह के समय श्री/श्रीमती..... के निम्नलिखित बालक थे:—

क्रम सं.	नाम	पुत्र/पुत्री	जन्म तारीख ईसवी सन् के अनुसार	कुटुम्ब पेंशन किस तारीख से संदेय नहीं रह गई है।
(1)				
(2)				
(3)				
(4)				

4. कुटुम्ब पेंशन की रकम ऊपर वर्णित क्रम में उक्त बालकों को संदेय हो गई है। कुटुम्ब पेंशन भयवत्कों की भोर से श्री/श्रीमती..... को, जो संरक्षक है, संदेय होगी।

5. ऊपर वर्णित बालकों को..... रूप, प्रति मास की कुटुम्ब पेंशन दिए जाने की मंजूरी दी जाती है।

भवदीय,

सक्षम प्राधिकारी

संलग्नों की सूची

1. संरक्षक का स्थायी पता।
2. संदाय का स्थान।
3. संरक्षक के हस्ताक्षर के नमूने भयवा बाएँ हाथ के अंगूठे और अंगूठियों की छापें जो सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित हैं।
4. संरक्षक के फोटो की पासपोर्ट आकार की दो अनुप्रमाणित प्रतियां।
5. सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित संरक्षक की विवरणात्मक नामावली।

[फा. सं. 36012/6/87-वित्त-2]

एन. शिवसुब्रह्मय्यन,  
अपर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS  
(Department of Petroleum & Natural Gas)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 1990

G.S.R. 917(E).—In exercise of the powers conferred by section 31 of the Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974), the Central Government hereby makes the following rules, namely:

CHAPTER 1  
PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Oil Industry Development Board Employees' (Pension) Rules, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.



[अध्या. 1. - कर्ष 3(i)]

2. Application.—These rules shall apply to all employees of the Board, other than :—

- (i) those in casual and daily rated employment;
- (ii) those employed on contract for a specified period on a consolidated salary, except when the contract provides otherwise;
- (iii) the employees entitled to the benefit of a contributory provident fund;
- (iv) persons on deputation in the Board on foreign service terms;
- (v) those who are appointed on special terms and conditions of service or whose terms and conditions of service, even on appointment in the Board, provide otherwise or age regulated by or under the provisions of any other law, rules or regulations.

3. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires :—

- (a) 'Accounts Officer' means the Financial Adviser and Chief Accounts Officer of the Board;
- (b) 'Board' means the Oil Industry Development Board;
- (c) 'Chairman' means the Chairman of the Board;
- (d) 'Child' means a child of an employee who is under twenty five years of age;
- (e) 'competent authority' means the Board and includes any authority specified as such in the Oil Industry Development Board Employees (General Conditions of Service) Rules, 1984, as amended from time to time;
- (f) 'employee' means an employee of the Board;
- (g) 'foreign service' means service in which an employee of the Board receives his pay with the sanction of the Board from any source other than the Oil Industry Development Fund;
- (h) 'form' means a form appended to these rules;
- (i) 'minor' means a person who has not completed the age of eighteen years;
- (j) 'pension disbursing authority' means the Accounts Officer;
- (k) 'pension sanctioning authority' means the appointing authority as defined in clause (b) of rule 2 of the Oil Industry Development Board Employees (General Conditions of Service) Rules, 1984, as amended from time to time;
- (l) 'Secretary' means the Secretary of the Board;
- (m) 'qualifying service' means service rendered while on duty or otherwise which shall be taken into account for the purpose of pensions and gratuities admissible under these rules.

CHAPTER II  
GENERAL CONDITIONS

4. Regulation of claims to pension or family pension.—(1) Any claim to pension or family pension shall be regulated by the provisions of these rules in force at the time when an employee retires or is retired or is discharged or is allowed to resign from service or dies, as the case may be.

(2) The day on which an employee retires or is retired or is discharged or is allowed to resign from service, as the case may be, shall be treated as a working day. The date of death shall also be treated as a working day.

(3) In the case of an employee who is retired prematurely or who retires voluntarily, the date of retirement shall be treated as a non working day.

5. Limitation on number of pensions.—(1) An employee shall not earn two pensions in the same service or post at the same time or by the same continuous service.

(2) Except in the case of Military pensioners re-employed in the Board, a Government servant or an employee of the Board who, having retired on a superannuation or retiring pension, is subsequently re-employed shall not be entitled to a separate pension or gratuity for the period of his re-employment.

6. Pension subject to future good conduct.—(1) Future Good conduct shall be an implied condition of every grant of pension and its continuance under these rules: The pension sanctioning authority, may, by order in writing, withhold or withdraw a pension or part thereof, whether permanently or for a specified period, if the pensioner is convicted of a serious crime or is found guilty of grave misconduct, subject to the condition that the balance of the pension that can be drawn by such pensioner shall be the same as may be prescribed by the Central Government from time to time for its employees.

(2) A reasonable opportunity by issue of notice shall be given to the pensioner before ordering any such withholding or withdrawing of the pension.

7. Right of Board to withhold or withdraw pension.—(1) The Board shall have the right of withholding or withdrawing a pension or part thereof, whether permanently or for a specified period, and of ordering recovery from a pension of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Board, if, in any departmental or judicial proceedings, the pensioner is found guilty of grave misconduct or negligence during the period of his service, including service rendered upon re-employment after retirement.

(2) If the departmental proceedings are not instituted while the employee was in service, whether before his retirement or during his re-employment, the same shall not be instituted without the sanction of the Board. No such proceedings shall be instituted in respect of any event which took place more than four years before such institution.

(3) If the Board orders recovery of pecuniary loss caused to the Board from pension, the recovery shall not ordinarily be made at a rate exceeding one-third of the pension admissible on the date of retirement of an employee.

8. Option to the existing staff.—(1) The employees who are in service on the date of commencement of these rules shall have the option to elect to pensionary benefits under these rules or continue to be governed under the Oil Industry Development Board Employees (Contributory Provident Fund) Rules 1978, within a period of six months from such date. The employees who do not exercise the option within that period shall be deemed to have opted to pensionary benefits under these rules.

(2) In case an employee opts for pensionary benefits, the amount standing to the credit of his account, on the date of his exercising such option, as Board's contribution to the contributory provident fund, together with interest thereon, shall be transferred back from that account to the Oil Industry Development Fund.

9. Employees transferred from services and posts to which these rules do not apply.—(1) An employee who is transferred permanently from a service or post to which these rules do not apply shall become subject to these rules;

Provided that it shall be open to him, within six months of the date of issue of the order of his permanent transfer, or if he is on leave on that day, then within six months of his return from leave, whichever is later, to elect to be governed by the Oil Industry Development Board Employees (Contributory Provident Fund) Rules, 1978 in respect of service rendered in the Board and by the retirement benefits to which he was subject immediately before the date of his transfer in respect of service rendered by him in the previous employment.

(2) The pensionary/retirement benefits for the past service shall be regulated in accordance with the relevant orders/instructions issued by the Central Government/Board from time to time.

3. The option, once exercised, shall be final.

### CHAPTER III QUALIFYING SERVICE

10. Commencement of qualifying service.—(1) The qualifying service of an employee shall commence from the date he takes charge of the post on the regular establishment of the Board to which he is appointed on a regular basis.

(2) In the case of an employee belonging to Central/State Government or any other public sector organisation appointed on deputation to a post under the Board, is permanently transferred to a service or post to which these rules apply, the continuous service rendered under that Government/Organisation, if any, shall count as qualifying service.

(3) All leave during service for which leave salary is payable, all extraordinary leave granted on medical certificate and all extraordinary leave granted due to inability of the employee to join or rejoin duty on

account of civil commotion or for prosecuting higher technical and scientific studies, shall count as qualifying service.

11. Counting of service on contract.—(1) A person who is initially engaged by the Board on a contract for a specified period and is subsequently appointed to the same or another post on regular basis on a pensionable post without interruption of duty, may opt either—

(a) to retain the Board's contribution to Contributory Provident Fund with interest thereon including any other benefit for that service;

OR

(b) to agree to refund to the Board or to forego the monetary benefits aforesaid and count in lieu thereof the service for which the monetary benefits may have been payable.

(2) The option shall be exercised by the concerned employee within a period of three months from the date of issue of order of appointment to a pensionable post.

(3) If no option is received within the prescribed period, the employee shall be deemed to have opted for the retention of the Contributory Provident Fund benefits payable or paid on account of service rendered on contract.

12. Counting of periods of suspension.—Time passed by an employee under suspension pending inquiry into his conduct shall count as qualifying service where, on conclusion of such inquiry, he has been fully exonerated or awarded a minor penalty or the suspension is held to be wholly unjustified. In other cases, the period of suspension shall not count unless the authority competent to pass orders under the Oil Industry Development Board Employees (Conduct, Discipline and Appeal) Rules, 1988 expressly declares at that time that it shall count.

13. Counting of past service on reinstatement.—

(1) An employee who is dismissed, removed or compulsorily retired from service, but is reinstated on appeal or review, is entitled to count his past service as qualifying service.

(2) The intervening period of interruption in service including the period of suspension, if any, shall not count as qualifying service unless regularised as duty or leave by a specific order of the authority which passed the order of reinstatement.

### CHAPTER IV

#### EMOLUMENTS AND AVERAGE EMOLUMENTS

14. Emoluments.—The term 'emoluments' means pay as defined in Oil Industry Development Board Employees (Death-cum-Retirement) Gratuity Rules, 1983, as amended from time to time, which an employee was receiving immediately before his retirement or on date of death or which he would have drawn on the date of retirement/death had he not been absent from duty on leave or under suspension followed by reinstatement without forfeiture of service on that date.

15. Average Emoluments.—(1) Average emoluments shall be determined with reference to the emoluments drawn by an employee during the last ten months of his service.

(2) If during the last ten months of his service an employee had been absent from duty on leave for which leave salary is payable or having been suspended had been reinstated without forfeiture of service, the emoluments which he could have drawn had he not been absent from duty or suspended shall be taken into account for determining the average emoluments.

#### CHAPTER V

#### CLASSES OF PENSIONS AND CONDITIONS GOVERNING THEIR GRANT

16. Superannuation pension.—A superannuation pension shall be granted to an employee who is retired on his attaining the age of superannuation.

17. Retiring pension.—A retiring pension shall be granted to an employee—

(a) who retires voluntarily or is retired in advance of the age of retirement by giving the prescribed notice;

OR

(b) who, on being declared surplus, opts for voluntary retirement.

18. Invalid pension.—An invalid pension shall be granted to an employee who is declared by the Medical Officer in charge of a Government Hospital to be permanently incapacitated for further service. The amount of invalid pension shall not be less than the amount of family pension admissible under the family pension scheme.

19. Compensation pension.—Compensation pension is granted to an employee who is discharged from service on the abolition of his post when a suitable appointment of equal rank can not be found for him.

20. Compulsory Retirement Pension.—An employee compulsorily retired from service as penalty may be granted by the competent authority pension or gratuity or both at a rate not less than two-thirds and not more than full compensation pension or gratuity or both admissible to him on the date of his compulsory retirement. The amount of pension sanctioned shall, however, not be less than three hundred and seventy five rupees per month.

21. Compassionate Allowance.—An employee who is dismissed or removed from service shall forfeit his pension and gratuity.

Provided that the competent authority, may, if the case is deserving of special consideration, sanction a compassionate allowance not exceeding two-thirds of pension or gratuity or both, which would have been admissible to him had he retired on compensation pension :

Provided further that this allowance shall not be less than the minimum pension of three hundred and seventy five rupees per month.

#### CHAPTER VI

22. Regulation of amounts of pensions.—An employee who retires from service before completing qualifying service of ten years shall not be eligible for the payment of pension. He shall be entitled to a lump sum amount termed as 'service gratuity' calculated at a uniform rate of half month's emoluments for every completed six monthly (half year) period of service.

23. Amount of Pension.—The amount of pension and the dearness relief allowed to a retired employee and the amount of family pension or the dearness relief allowed to the family of a deceased employee or of a deceased pensioner shall be the same as may be prescribed by the Central Government for its employees from time to time.

24. Calculation of Pension.—(1) Pension shall be calculated at fifty per cent of 'average emoluments' for all cases and shall be subject to minimum and maximum amount of monthly pension before commutation, as may be prescribed by the Central Government for its employees.

(2) The amount of pension arrived at vide sub-rule (1) above shall be related to the maximum qualifying service of 33 years. For employees who have, at the time of retirement, rendered qualifying service of ten years or more but less than 33 years, the amount of their pension will be such proportion of the maximum admissible pension as the qualifying service rendered by them bears to the maximum qualifying service of 33 years.

(3) The amount of pension finally determined under these rules shall be expressed in whole rupees and where the pension contains a fraction of a rupee it shall be rounded off to the next higher rupee.

25. Retirement.—(1) The retirement of an employee from the service of the Board shall be regulated in accordance with the provisions contained in rule 16 of the Oil Industry Development Employees' (General Conditions of Service) Rules, 1984.

(2) In case any employee opts for voluntary retirement under sub-rule (4) of rule 16 of the Oil Industry Development Board Employees' (General Conditions of Service) Rules, 1984, his pension shall be based on the emoluments as defined in these rules and the increase not exceeding five years in qualifying service shall not entitle him to any notional fixation of pay for purposes of calculating pension and gratuity.

26. Death-cum-retirement Gratuity.—In addition to pension as may be available under these rules, the employees shall be entitled to Death-cum-Retirement Gratuity in accordance with the provisions contained in the Oil Industry Development Board Employees' (Death-cum-Retirement) Gratuity Rules, 1983, as amended from time to time.

27. Family Pension.—Where an employee dies—

(a) after completion of one year of continuous service; or

(b) before completion of one year of continuous service provided the deceased employee concerned immediately prior to his appointment to the service or the post was examined by the Medical Officer in charge of a Government Hospital and declared fit by that officer for service in the Board; or

(c) after retirement from service he expired and was on the date of death in receipt of a pension,

the family of the deceased employee shall be entitled to family pension, at the rates, as may be prescribed by the Central Government for its employees from time to time.

26. Family Pension—to whom payable.—(1) The family pension shall be payable to the family of the deceased employee. 'Family' in relation to an employee means—

(a) wife in the case of male employee;

(b) husband in the case of female employee;

(c) sons who have not attained the age of 25 years;

(d) unmarried daughters who have not attained the age of 25 years.

(2) Sons and unmarried daughters below the age of 25 years shall also include such sons and daughters who have been adopted legally before retirement.

(3) Wife or husband shall include respectively judicially separated wife or husband.

(4) If the deceased employee/pensioner leaves behind more than one widow, the second wife will not be entitled to family pension as a legally wedded wife.

27. (1) The family pension shall be payable to only one member of the family at a time.

(2) It shall first be payable to the widow/widower till the date of her/his death or remarriage, whichever is earlier.

(3) Thereafter it shall be payable to the eligible children in the order of priority. The eligibility of unmarried daughter shall start only if the eligibility of sons is exhausted.

30 Higher scale of family pension.—(1) When an employee dies while in service after having rendered not less than seven years continuous service, the family pension payable to the family of the deceased employee shall be equal to 50 per cent of the pay last drawn by the employee or twice the family pension admissible at the normal rates, whichever is less.

(2) This higher rate of family pension shall be payable from the date following the date of death of the employee for a period of seven years or for the period upto the date on which the deceased employee would have attained the age of 65 years, had he survived whichever is less.

(3) In the event of death of an employee after retirement, the higher rate of pension as determined above shall further be restricted to the amount of

pension authorised to such employee on retirement from service and shall be payable from the date following the date of death for a period of seven years or for the period upto the date on which the retired employee would have attained the age of 65 years, if he had survived, whichever is less.

(4) An unmarried daughter shall become ineligible for family pension from the date she gets married.

(5) The family pension payable to a son or a daughter shall be stopped if he or she starts earning his or her livelihood or attains 25 years of age whichever is earlier.

31. Admissibility of family pension to handicapped son(s) [daughter(s)] even beyond the prescribed age limit.—If the son or the unmarried daughter of an employee is suffering from any disorder or disability of mind or is physically crippled or disabled so as to render him or her unable to earn a living even after attaining the age of 25 years, the family pension shall be payable to such son or daughter for life subject to the following conditions namely,

(i) If such son or daughter is among two or more children of the employee, the family pension shall initially be payable to the minor children in the order set out in rule 30 until the last minor child attains the age of 25 and thereafter the family pension shall be resumed in favour of the son or daughter suffering from disorder or disability of mind or who is physically crippled or disabled and shall be payable to him/her for life;

(ii) If there are more than one such son or daughter suffering from disorder or disability of mind or who are physically crippled or disabled, the Family Pension shall be paid in the following order namely—

(a) firstly to the son, and if there are more than one son, the younger of them will get the family pension only after the life time of the elder;

(b) secondly, to the daughter, and if there are more than one daughter, the younger of them will get the family pension only after the life time of the elder;

(iii) the family pension shall be paid to such son or daughter through the guardian as if he or she were a minor;

(iv) the grant of family pension to disabled children beyond the prescribed age limit is subject to the following conditions—

(a) the disability should have manifested itself before retirement or death of the employee while in service;

(b) a daughter shall become ineligible from the date she gets married;

(c) the family pension to such disabled son or daughter shall be stopped if he or she starts earning his/her livelihood.

## CHAPTER VII

32. Procedure for authorisation of Pension.—(1) With a view to eliminating delays in the payment of superannuation pension and Retirement/Death Gratuity, a time-bound schedule for processing pension cases shall be followed to ensure that payment of superannuation pension, in all cases, commences on the first of the month in which they are due.

(2) One year in advance of the date on which the employee is due to attain the age of superannuation or the date of his anticipated retirement, if earlier the Competent Authority shall ensure the preparation of pension papers including verification of service and completion of the particulars required in Form 3. Details of Family shall be obtained in Form 1.

(3) The period of preparatory work of one year shall be divided into the following three stages :

(i) First Stage : The service book of the retiring employee shall be gone through to ensure that the certificate of verification of service is recorded for the entire period of service and that the unverified portions of service are got verified with reference to pay rolls, acquittance rolls and other relevant record or on the basis evidence produced by the employee.

(ii) Second Stage : While scrutinising the certificate of verification of service in the service book of the retiring employee, and other omissions, imperfections or deficiencies which have a direct bearing on the determination of emoluments and the service qualifying for pension shall also be identified and made good. For average emoluments the correctness of the emolument drawn or to be drawn by the employee during the last ten months of service shall be taken into account but the actual verification will be done for the emoluments for the period of 24 months preceding the date of retirement of the employee.

(iii) Third Stage : Form 2 duly completed shall be obtained from the retiring employee three months before the date of retirement.

33. (1) The process of determining the qualifying service and the average emoluments and the admissible pension and gratuity shall be completed in the Board's Secretariat three months before the date of retirement of the employee.

(2) A copy of the pension calculation sheet shall be given to the retiring employee.

34. (1) After satisfactory scrutiny of the pension papers, the Competent Authority shall accord the necessary sanction for the payment of Pension.

(2) Save for good and sufficient reasons, the Accounts Officer shall issue the necessary Pension Payment Order not later than one month prior to the date of retirement.

35. Revision of pension after sanction.—(1) Subject to provisions of rule 7 of these rules a pension once sanctioned after final assessment shall not be revised to the disadvantage of the employee unless

such a revision becomes necessary on account of detection of a clerical error subsequently :

Provided that no revision of pension to the disadvantage of the pensioner shall be ordered without the concurrence of the Board if the clerical error is detected after a period of two years from the date of authorisation of the pension.

(2) For the purpose of sub-rule (1), the retired employee shall be served with a notice requiring him to refund the excess payment of pension with a period of two months from the date of receipt of notice by him.

(3) On his failure to comply with the notice, the excess payment shall be adjusted by short payments of pension in future, in one or more instalments, as may be decided.

36. Determination and authorisation of Family Pension when an employee dies while in service.—

(1) On receipt of intimation regarding death of an employee while in service, immediate action shall be initiated for obtaining claim of family pension from the widow or widower in Form 5.

(2) If the deceased employee is survived by only minor child/children, the guardian of the child/children can prefer the claim.

(3) In case the employee was on extraordinary leave a claim in the said Form on behalf of the child if the child has attained age of eighteen years and such child may himself or herself submit a claim in the said Form.

37. Completion of Form 6.—(1) The work relating to verification of service and completion of Form 6 shall be undertaken at once in accordance with the prescribed procedure.

(2) For the purpose of determination of emoluments for family pension, the verification of correctness of emoluments shall be confined for a maximum period of one year preceding the date of death of the employee.

(3) In case the employee was on extraordinary leave on the date of death, the verification of the correctness of emoluments shall be confined for one year preceding the date of commencement of extraordinary leave.

(4) The process of determination of qualifying service and qualifying emoluments shall be completed within one month of the receipt of the intimation regarding the date of the death of employee and the amount of family pension shall be calculated accordingly.

38. Sanction of family pension in respect of deceased pensioners.—(1) On receipt of intimation regarding death of pensioner it shall be ascertained whether any family pension is payable in respect of the deceased pensioner.

(2) If the deceased pensioner is survived by a widow/widower, the amount of family pension as indicated in the Pension Payment Order shall become payable to the widow/widower from the day following the date of death of the pensioner.

(3) The payment shall commence on receipt of application from the widow/widower concerned duly supported by the death certificate.

(4) If the deceased pensioner is survived by child or children, the guardian of the child or children may submit the claim in Form 5.

(5) Son/unmarried daughter if he/she has attained the age of eighteen years may himself/herself submit a claim in Form 5.

(6) On receipt of claim, the Family Pension shall be sanctioned in Form 7 and the Pension Payment order shall be issued.

(7) If a widow or widower in receipt of family pension remarries and has child or children from the former spouse at the time of remarriage, the married individual shall be eligible to draw the family pension on behalf of such child or children if such individual continues to be the guardian of such child or children.

(8) If the remarried individual has, for any reason, ceased to be the guardian of such child or children, the family pension shall become payable to the person entitled to act as guardian of such child or children under the law for the time being in force and such person may submit a claim in Form 5 for the payment of family pension.

(9) The guardian shall not be required to submit a claim on behalf of the son or unmarried daughter if he or she has attained the age of eighteen years and such person may himself or herself submit a claim in the said Form.

(10) On receipt of the claim referred to in sub-clause 8 and sub-clause 9, the family pension shall be sanctioned in Form 8.

#### CHAPTER VIII

39. Payment of Pensions : (1) A pension other than family pension shall become payable from the date on which an employee ceases to be borne on the establishment.

(2) Pension including family pension is payable for the day on which its recipient dies.

40. All pension shall be payable in rupees in India.

41. Pension shall be fixed at monthly rates and shall be payable monthly on or after the first day of the following month.

42. A pension remaining undrawn for more than one year shall not be paid without the prior approval of the competent Authority.

43. (1) A declaration in the prescribed Form shall be obtained half-yearly from all recipients of family pension whose pensions are terminable on their marriage or remarriage.

(2) In the case of a widow recipient of family pension, the declaration referred to in sub-rule (1) shall be obtained only on the first occasion if she undertakes to report promptly to the office in the event of her marriage.

44. A pensioner shall be identified by a comparison of his personal marks of identification as entered in the pension payment order and the signature to the receipt with the specimen signature posted on the original payment order. If a pensioner can not sign his name, his thumb impression on the receipt shall be compared with the original impression already taken on the disbursing officer's half of the pension payment order. A pensioner may also be identified on the resemblance between him and his photograph affixed to the copy of the disbursing officer's behalf of the Pension Payment Order.

45. Payment of pension shall be made by Postal Money Order at the option and expense of pensioner.

46. The payment of the pension shall be made at the office of the Board.

47. Nominations : Nominations made by an employee under the Oil Industry Development Board Employee's (Death-Cum-Retirement) Gratuity Rules, 1983 as amended from time to time shall hold good for payment of arrears of pensions :

Provided that in case an employee who is due to retire has submitted a nomination in the prescribed form in triplicate within three months before or after the date of retirement conferring on any other person the right to receive, after his death, all moneys payable to him on account of pension, or before or after the date of nomination and which remain unpaid immediately before his death, the arrears of pension shall be paid to the person so nominated.

#### CHAPTER IX

##### Commutation of Pension

48. An employee shall be entitled to commute for lump sum payment a fraction not exceeding one-third of his pension. If fraction of pension to be commu-

ted results in fraction of rupee, such fraction of rupee will be ignored for the purpose of commutation. However, no employee against whom departmental or judicial proceeding have been instituted before the date of his retirement or the pensioner against whom such proceedings are instituted after the date of his retirement, shall be eligible to commute a fraction of his pension/provisional pension during the pendency of such proceedings.

49. The employee shall be eligible to commute pension without medical examination.

50. The application for commutation shall be made to the office of the Board after the date of retirement. However, if the retiree is on superannuation, the application can be submitted before the date of superannuation.

51. The applicant shall make a nomination in the prescribed form, along with his application for commutation, conferring on one or more persons the right to receive the commuted value of pension in case he dies without receiving the commuted value on or after the date on which the commutation becomes absolute.

52. The commutation of pension shall become absolute on the date on which the application in the prescribed form is received in the office of the Board; and the pensioner will have no option to withdraw his application :

Provided that in the case where an employee retiring on superannuation submits application for commutation of pension before the date of superannuation, the commutation shall become absolute on the date following the date of retirement :

Provided further that the Board shall have no liability for the payment of commuted value of pension if the employee dies before the date of superannuation or forfeits claim to pension before such retirement.

53. The amount of commuted value of pension as finally calculated in accordance with the Table of values prescribed by the Central Government for its staff from time to time and applicable to the applicant on the date on which the commutation becomes absolute shall be rounded off to the next higher rupee.

54. An applicant who has commuted a fraction of his pension and after communication his pension has been revised and enhanced retrospectively, the applicant shall be paid the difference between the commuted value determined with reference to the enhanced pension and the commuted value already authorised. No fresh application shall be required for the payment of difference amount.

55. (1) If a pensioner dies without receiving the commuted value on or after the date on which it became absolute, the commuted value shall be paid to his nominee(s).

(2) If there is no such nomination, or if the nomination made does not subsist, the commuted value

shall be paid to the family in the manner indicated in the Oil Industry Development Board Employees' (Death-cum-Retirement) Gratuity Rules, 1983.

(3) If in any case the commuted value can not be paid in the manner in sub-rules (1) and (2), the same shall be paid to his heirs

56. The date on which the payment of the commuted value of pension was made to the applicant shall be entered into the both halves of the Pension Payment Order.

57. Reliefs admissible to pensioners will be calculated on the original amount of pension even after commutation of a portion of the pension.

58. Commuted portion of pension shall be restored after fifteen years from the date of retirement.

## CHAPTER X

### Miscellaneous

59. Payment of advances to Families of Employees who Die while in Service :—(1) The families of all regular employees who die in service (whether on duty or on leave with or without pay) will be eligible for the relief in the shape of advance limited to 3 months pay of the deceased or Rs. 3000 which ever is less.

(2) The advance may on application and requisite undertaking be sanctioned by the Accounts Officer of the Board or the Competent Authority.

(3) The advance when granted, shall be adjusted against the arrears of salary due, death gratuity, provident fund accumulation or any other payments due to the deceased within a period of six months from the date of sanction.

60. Interpretation.—Where any doubt arises as to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Central Government for clarification.

61. Power to relax.—Where the Board is satisfied that the operation of any of these rules causes undue hardship in any Particular case, the Board may at its discretion, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such exceptions and conditions as it may consider necessary dealing with the case in a just and equitable manner.

62. Savings.—(1) On the commencement of these rules, rule 23 of the Oil Industry Development Board Employees' (General Conditions of Service) Rules, 1984, shall, to the extent it provides for any matter contained in these rules, be deemed to have been modified.

(2) Any matter not covered by these rules shall be regulated, to the extent applicable and appropriate, in accordance with the relevant provisions contained in the Central Services (Pension) Rules, 1972, as amended from time to time.

88/c  
(17)

-12-

## FORM 1

[See Rule 32(2)]

Name of the Employee

## DETAILS OF FAMILY

Designation

Date of birth

Date of appointment

Details of the members of my family

as on

Serial No.	Name of the members of family*	Date of Birth	Relationship with the employee	Initials of the Secretary	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					

I hereby undertake to keep the above particulars up-to-date by notifying to the Secretary any addition or alteration.

Place \_\_\_\_\_

Signature of employee

Dated the \_\_\_\_\_

NOTE.—Wife and husband shall include respectively judicially separated wife and husband.

## FORM 2

[See rule 32(3)(iii)]

## PARTICULARS TO BE OBTAINED FROM THE RETIRING EMPLOYEE EIGHT MONTHS BEFORE THE DATE OF HIS RETIREMENT

- Name
  - (a) Date of birth  
(b) Date of retirement.
  - Two specimen signatures (to be furnished in a separate sheet) duly attested by a gazetted Government servant or by an officer of the Board.
  - Two copies of passport size joint photograph with wife or husband (To be attested by the Accounts Officer).
  - Two slips showing the particulars of height and 4 personal identification marks duly attested by a gazetted Government servant or by an officer of the Board.
1. Two slips each bearing the left hand thumb and finger impressions duly attested may be furnished by a person who is not literate to sign his name. If such an employee on account of physical disability is unable to give left hand thumb and finger impressions he may give thumb and finger impressions of the right hand. Where an employee has lost both the hands, he may give his toe impressions. Impressions should be duly attested by a gazetted Government servant or by an officer of the Board.



2. Two copies of the passport size photograph of self only need be furnished if employee is unmarried.
3. Where it is not possible for an employee to submit a photograph with his wife or her husband, he or she may submit separate photographs. The photographs shall be attested by the Accounts Officer.
4. Specify a few conspicuous marks, not less than two, if possible.
5. Present address.
6. Address after retirement.
7. Details of the family in Form 1.
8. Indicate whether family pension is admissible from any other source—Military or State Government and/or a public sector undertaking/autonomous body/Local Fund under the Central or a State Government.

Place \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_

Dated the \_\_\_\_\_

Designation  
Office.

## FORM 3

[See rule 32(2)]

## FORM OF ASSESSING PENSION AND GRATUITY

## PART I

1. Name of the employee ...
2. Father's name (and also husband's name in the case of female employee) ...
3. Date of birth (by Christian era) ...
4. Religion ...
5. Permanent residential address, showing village, town, district and State. ...
6. Present or last appointment including name of establishment : ...
7. Date of beginning of service ...
8. Date of ending of service ...
9. (i) Total period of military service for which pension or gratuity was sanctioned ...
- (ii) Amount and nature of any pension/gratuity received for the military service ...
10. Amount and nature of any pension gratuity received for previous civil service ...
11. Government under which service has been rendered in order of employment ... Years Months Days
12. Class of pension applicable ...
13. The date on which action initiated to—  
(i) obtain the 'No demand certificate' ...  
(ii) assess the service and emoluments qualifying for pension. ...
14. Details of omissions, imperfections or deficiencies in the service book which have been ignored ...
15. Total length of qualifying service (for the purpose of adding towards broken periods, a month is reckoned as thirty days) ...
16. Periods of non-qualifying service—  
(i) Interruption in service condoned ... From To  
(ii) Extraordinary leave not qualifying for pension ...

- (iii) Period of suspension not treated as qualifying...
- (iv) Any other service not treated as qualifying ...

Total

- 17. Emoluments reckoning for gratuity ...
- 18. Average emoluments ...
- \*Emolument drawn during the last ten months of service.

Post held	From	To	Pay	Personal pay or Special pay	Average Emoluments
19.	Date on which Form 2 has been obtained from the employer (To be obtained eight months before the date of retirement of the employee) ...				
20.	(i) Proposed pension ...				
	(ii) Proposed graded relief ...				
21.	Proposed death-cum-retirement gratuity ...				
22.	Date from which pension is to commence ...				
23.	Proposed amount of provisional pension. If departmental or judicial proceedings are instituted against the Board's employees before retirement ...				
24.	Details of Board dues recoverable out of gratuity ...				
	(i) Licence fee for the allotment of House ...				
	(ii) Other dues ...				
25.	Whether nomination made for—Death-cum-retirement gratuity ...				
26.	Whether Family Pension applies to the employee and if so—				
	(i) emolument reckoning for the family pension ...				
	(ii) the amount of the family pension becoming payable to the family of the employee if death takes place after retirement—				
	(a) before attaining the age of 65 years, or				Rs. _____
	(b) after attaining the age of 65 years ...				Rs. _____

\* (i) In a case where the last ten months include some period not to be reckoned for calculating average emoluments an equal period backward has to be taken for calculating average emoluments.

(ii) The calculation of average emoluments should be based on actual number of days contained in each month.

(iii) Complete and up-to-date details of the family as given in Form 1.

Sl. No.	Name of the member of the family	Date of birth	Relationship with the employee
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

- 27. Height ...
- 28. Identification marks ...
- 27. Place of payment of pension ...
- 30. Head of Account to which pension and gratuity are debitale. ...

Accounts Officer.

PART II SECTION I

Account encasement :

- 1. Total amount of qualifying service, which has been accepted for the grant of superannuation or retiring or invalid or compulsory retirement pension and gratuity, with reasons for disallowance, if any, (other than disallowance indicated in Part I of this Form)

- Amount of superannuation or retiring or invalid or compensation or compulsory retirement pension or gratuity that has been admitted.
- The date from which superannuation or retiring or invalid or compensation or compulsory retirement pension or gratuity is admissible.
4. Head of Account to which superannuation or retiring or invalid or compensation or compulsory retirement pension or gratuity is chargeable.
5. The amount of the Family Pension, becoming payable to the entitled members of the family in the event of death of the employee after retirement.

## SECTION II

1. Name of the employee
2. Class of pension or gratuity
3. Amount of pension authorized
4. Amount of gratuity authorized
5. Date of commencement of pension
6. Amount of family pension in the event of death after retirement—
  - (i) if death takes place before 65 years of age, or
  - (ii) if death takes place after 65 years of age.
7. The amount of graded relief admissible on pension
8. The dues recoverable out of gratuity before authorising its payment.
9. The amount of cash deposit or the amount of gratuity held over for adjustment of unassessed dues.
10. Date on which the pension paper received by the Accounts Officers

## PENSION CALCULATION SHEET

- A. Name
- B. Designation of the Post from which retired
- C. Office last served
- D. Date of Birth (in figures and words)
- E. Date of superannuation/retirement
- F. Rules under which pensionary benefits were settled
- G. Qualifying service for pension indicating separately—
  - (i) Addition to qualifying service as, for example,
  - (ii) Period of service not qualifying for pension with the reasons for not qualifying, indicated against each.
- H. Emoluments drawn during the last 10 months (along with the pay scale) preceding retirement/ superannuation (pay, special pay, deputation allowance, personal pay, dearness pay, interim relief etc.)
- I. Computation of average emoluments on which pension fixed.
- J. Total amount of pension, and family pension sanctioned.
- K. Details of Commutation of pension—
  - (i) Percentage amount of monthly pension commuted; and
  - (ii) Amount of commuted value of pension authorised.
- L. Computation of Death-Cum-Retirement Gratuity
- M. Amount of Death-cum-Retirement Gratuity sanctioned.
- N. Remarks

## FORM 4

[See rule 28(1)]

## FORM OF LETTER TO THE WIDOW/WIDOWER OF A DECEASED EMPLOYEES FOR GRANT OF FAMILY PENSION

No. \_\_\_\_\_

To \_\_\_\_\_

Subject.—Payment of Family Pension, in respect of late Shri/Shrimati \_\_\_\_\_  
 Sir/Madam,

I am directed to say that in terms of Oil Industry Development Board Employee (Pension) Rules, 1990 a family pension, is payable to you a widow/widower of the late Shri/Shrimati \_\_\_\_\_ (Designation) in the Office of the Board.

2. You are advised that a claim for the grant of family pension, may be submitted in the enclosed Form 5.

3. This family pension will be payable till your death or remarriage, whichever occurs earlier. In the event of your death or remarriage, the family pension shall be granted to the child or children, if any, through the guardian.

Yours faithfully,  
 Accounts Officer.

24/c 8

-8-

FORM 5

[See rule 36(1) and Rule 38(4), (5) and (8)]

FORM OF APPLICATION FOR THE GRANT OF FAMILY PENSION ON THE DEATH OF AN EMPLOYEE PENSIONER

Name of the applicant

- (i) Widow/Widower
- (ii) Guardian if the deceased person is survived by child or children.

Name and age of surviving widow/widower and children of the deceased employee pensioner

Serial No.	Name	Relationship with the deceased person	Date of birth by Christian era
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

3. Name and No. of the Pension Payment Order of the deceased pensioner

4. Date of death of the employee pensioner

5. Office in which the deceased employee pensioner served last.

6. If the applicant is a widow/widower the amount of service pension which she/he may be in receipt on the date of death of the husband/wife.

7. Full address of the applicant

8. Place of payment of pension and Gratuity and Bank.

9. Enclosures:

- (i) Two specimen signatures of the applicant, duly attested (To be furnished in two separate sheets)
- (ii) Two copies of passport size photograph of the applicant, duly attested.
- (iii) Two slips each bearing left hand thumb and finger impressions\* of the applicant duly attested.

To be furnished in case the applicant is not literate enough to sign his name.

(iv) Descriptive Roll of the applicant, duly attested, indicating (a) height; and (b) personal marks, if any, on the hand, face, etc. (Specify a few conspicuous marks, not less than two, if possible) (To be furnished in duplicate).

(v) Certificate(s) of age (in original with two attested copies) showing the dates of birth of the children. The certificate should be from the Municipal Authorities or from the local panchayat or from the head of a recognised school if the child is studying in such school. (This information should be furnished in respect of such child or children, the particulars of whose date of birth are not available with the Board's Office).

9. Indicate whether family pension is admissible from any other source—Military or State Government and/or a public sector undertaking/autonomous body/local fund under the Central or a State Government.

10. Signature or left hand thumb-impression\* of the applicant.

11. Attested by :

Name	Full Address	Signature
(i)		
(ii)		

12. Witnesses :

(i)		
(ii)		

NOTE—Attestation should be done by two Gazetted Government servants or two or more persons of respectability in the town, village or Pargana in which the applicant resides.

\* To be furnished in case the applicant is not literate enough to sign his name.

(7)

- 7 -

(15)  
83)C

FORM II-3(i)

भारत की संपत्ति विभाग

29

In the case of re-marriage of the widow while applying for family pension on behalf of the minor child, the widow should furnish (i) details of her re-marriage, (ii) her full address in the application for family pension. It is not necessary to furnish a fresh application as the documents which are already available with the pension papers on which family pension was originally admitted to her.

FORM 6

[See Rule 37(1)]

FORM FOR ASSESSING AND AUTHORIZING THE PAYMENT OF FAMILY PENSION AND DEATH-CUM-RETIREMENT GRATUITY WHEN AN EMPLOYEE DIES WHILE IN SERVICE.

PART I

Section I

1. Name of the deceased employee
2. Father's name (and also husband's name in the case of female employee,
3. Date of Birth (by Christian era)
4. Date of Death (by Christian era)
5. Religion
- Office in which last employed
7. Appointment held last
8. Date of beginning of service
9. Date of ending of service
10. (i) Total period of military service for which pension gratuity was sanctioned and  
(ii) Amount and nature of any pension gratuity received for the military service.
11. Amount and nature of any pension received for previous civil service, if any
12. Uniform which service has been rendered in order of employment
13. The date on which intimation regarding the death of Employee was received.
14. The date on which action initiated to complete the service record and assess the emoluments etc. qualifying for death-cum-retirement gratuity and family pension.
15. Whether nomination made for  
(i) death-cum-retirement gratuity
16. Length of service qualifying for death-cum-retirement gratuity/pension.
17. Periods of non-qualifying service—  
(i) Interruption in service condoned under  
(ii) Extraordinary leave not qualifying for gratuity.  
(iii) Period of suspension treated as non-qualifying.  
(iv) Any other service not treated as qualifying service.  
Total period of non-qualifying service
18. (a) Emoluments reckoning for death-cum-retirement gratuity.  
(b) Amount of death-cum-retirement gratuity.
19. If Family Pension, applies:  
(i) Proposed Family Pension at—  
(a) enhanced rate (if service rendered at the time of death is more than seven years)  
(b) ordinary rates—
20. Persons to whom family pension is payable  
Name  
Relationship with the deceased Employee  
Full postal address

From To

copy (b)

- 21. Details of dues recoverable out of gratuity:—
  - (i) Licence fee for occupation of accommodation.
  - (ii) Other dues.
- 22. Date on which claim received from the claimants.
- 23. Name of guardian who will receive payment of death-cum-retirement gratuity and family pension in the case of minors.
- 24. Place of payment.
- 25. Head of Account to which death-cum-retirement gratuity and family pension are debitible.

Place

Signature of Accounts Officer.

Dated the

PART II Section I

Amount Encasement

- 1. Total period of qualifying service which has been accepted for—
  - (i) Death-cum-retirement gratuity
  - (ii) Family Pension
- 2. Net amount of gratuity adjusting dues.
- 3. Amount and the period of tentability of Family Pension. If death took place
  - (i) before seven years service
  - (ii) after seven years service.

Amount	Period of tentability	
	From	To
Rs.		

Section II

- 1. Name of the deceased Employee
- 2. Date of death of the Employee
- 3. Date on which pension papers received by the Accounts Officer.
- 4. Amount of family pension authorised.
- 5. Amount of gratuity authorised.
- 6. Date of commencement of family Pension
- 7. Date on which payment of family pension and gratuity authorised.
- 8. Amount recoverable from gratuity.

Place

Accounts Officer.

Dated the

FORM 7

[See Rule 38(6)]

FORM OF LETTER SANCTIONING FAMILY PENSION TO THE CHILD OR CHILDREN OF A RETIRED EMPLOYEE WHO DIES AFTER RETIREMENT BUT DOES NOT LEAVE BEHIND A WIDOW OR WIDOWER.

No. \_\_\_\_\_  
Dated the \_\_\_\_\_

To \_\_\_\_\_  
Subject:—Grant of Family Pension to the child/children.

Sir, I am directed to say that Shri/Shrimati \_\_\_\_\_ formerly \_\_\_\_\_ (Designation)

in Oil Industry Development Board was authorised pension of Rs. \_\_\_\_\_ on his/her retirement from service with effect from \_\_\_\_\_ died on \_\_\_\_\_

2. Intimation has been received in this Office that Shri / Shrimati \_\_\_\_\_ and that at the time of death left no widow/widower but was survived by the following children

Sl. No.	Name	Son/Daughter	Date of birth in Christian era	Date from which family pension ceases to be payable
(1)				
(2)				
(3)				
(4)				

(5)

-5-

(10)

81/c

3. In terms of Oil Industry Development Board Employee's (Pension) Rules the amount of Family Pension, has become payable to the children in the order mentioned above. The Family Pension will be payable on behalf of the minor to Shri/Shrimati \_\_\_\_\_ who is the guardian.

4. Sanction for the grant of Family Pension, of Rs. \_\_\_\_\_ per month to the children mentioned above is hereby accorded.

5. Attention is invited to the information furnished in the list of enclosures.

6. The receipt of this letter may kindly be acknowledged and this office informed that instructions for the payment of Family Pension, to the guardian have been issued to the disbursing authority concerned.

Yours faithfully,  
Competent Authority

List of enclosures

1. Permanent address of the guardian.
2. Place of payment.
3. Specimen signature or \*left hand thumb and finger impressions of the claimant or guardian duly attested.
- \* To be furnished in the case of the guardian who is not literate enough to sign his or her name.

FORM 8

(See Rule 38(10))

FORM OF LETTER SANCTIONING FAMILY PENSION TO THE CHILD OR CHILDREN ON THE DEATH OR REMARRIAGE WIDOW/WIDOWER WHO WAS IN RECEIPT OF FAMILY PENSION:

No. \_\_\_\_\_  
Office of \_\_\_\_\_  
Dated the \_\_\_\_\_

To \_\_\_\_\_  
Subject:—Grant of Family Pension to the child/children.

Sir,  
I am directed to say that Shri/Shrimati \_\_\_\_\_ formerly \_\_\_\_\_ widow/widower of late Shri/Shrimati \_\_\_\_\_ (designation)

in this Office was authorised the payment of Family Pension of Rs \_\_\_\_\_ with effect from \_\_\_\_\_ The Family Pension was tenable till the death or remarriage of the widow/widower.

2. Intimation has been received in this Office that Shri/Shrimati \_\_\_\_\_ died/re-married on: \_\_\_\_\_

3. At the time of death/re-marriage Shri/Shrimati \_\_\_\_\_ had following children\* :—

Sl. No.	Name	Son/ Daughter	Date of birth in Christian era.	Date from which the family pension ceases to be payable.
---------	------	---------------	---------------------------------	--

(1)

(4)

\* The name of children should be mentioned in the order of eligibility. Children born as a result of marriage which took place before the retirement of the employee or the children adopted legally before retirement should be included but children born after retirement should not be included.

4. The Family Pension has become payable to the children in the order mentioned above. The Family Pension will be payable on behalf of the minors to Shri/Shrimati \_\_\_\_\_ who is the guardian.

5. Sanction for the grant of Family Pension Rs. \_\_\_\_\_ per month to the children, mentioned above is hereby accorded.

Yours faithfully,  
Competent Authority

List of enclosures

1. Permanent address of the guardian.
2. Place of payment.
3. Specimen signature or left \*hand thumb and finger impressions of the guardian, duly attested.
4. Two attested copies of passport size photograph of the guardian.
5. Descriptive roll of the guardian, duly attested.
- \* To be furnished in the case of the guardian who is not literate enough to sign his or her name.

[F.No. 35012/6/87-Fin. II]  
N. SIVASUBRAMANIAN, Addl. Secy.

